मूलनिवासी टाईम्स

फुले-अम्बेडकरी आंदोलन के उद्देश्य, विचारधारा, सिद्धांत तथा मूल्यों के प्रति समर्पित राष्ट्रीय हिन्दी पाक्षिक

संपादक : मनोज कुमार, वर्ष : 21, अंक : 12, दिनांक : 1 से 15 जुलाई, 2024, पृष्ठ : 12, वार्षिक सदस्यता : 240/- मूल्य : 10 रुपये

वर्ष 2024–26 हेतु बामसेफ की नई केन्द्रीय कार्यकारिणी का गठन

मू. आर.एल. ध्रुव राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मू. आर. एस. राम राष्ट्रीय महासचिव चुने गए

मूनिटा संवाददता, नई दिल्लीः राष्ट्रपिता जोतिबा फूले सामाजिक क्रांति संस्थान रिंगनाबाडी, अमरावती रोड़ नागपुर महाराष्ट्र में दिनांक 14 एवं 15 जून 2024 को बामसेफ की आम बैठक (General Body Meeting) आयोजित की गयी। बामसेफ के स्कंद संगठनों यथा मूलनिवासी संघ, मूलनिवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ, मूलनिवासी सभ्यता संघ, मूलनिवासी विद्यार्थी संघ तथा अन्य विंगों की आम बैठकें भी इन्हीं दो दिनों में साथ–साथ ही आयोजित की गयी।

BAMCEF ALL INDIA BACKWARD AND MINORITY COMMUNITIES EMPLOYEES FEDERATION EDUCATE ORGANISE AGITATE (Regd. No. S-17809)

आम बैठक में सर्व प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष मू. नितिन गनोरकर की अध्यक्षता में संचालित बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी वर्ष 2022–24 के द्वारा गत दो वर्षों में किये गये कार्यों की भौतिक तथा वित्तीय रिपोर्ट क्रमशः मू. राष्ट्रीय महासचिव संजय इंगोले एवं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मू. आर. के. गौतम द्वारा प्रस्तुत की गयी जिसका करतल ध्वनि से सदन द्वारा अनुमोदन किया गया। तत्पश्चात् अन्य बिन्दु के अर्न्तगत मू. अध्यक्ष की अनुमति से देशभर से आये कार्यकताओं द्वारा विभिन्न विषयों पर प्रश्न किये गये। सभी प्रश्नों का राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों द्वारा संतोषजनक रूप से उत्तर देकर समाधान किया गया।

बामसेफ द्वारा अपनाई जा रही लोकतांत्रिक प्रक्रिया एवं परम्परा के अनुसार आम सभा बैठक (General Body Meeting) की अध्यक्षता हेतु मू. वाई. आर. एस. राव को आमंत्रित किया गया तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी वर्ष 2022–24 को भंग करने की संस्तुति की गयी, जिसका करतल ध्वनि से सदन द्वारा अनुमोदन किया। इसके पश्चात् आम सभा बैठक की अध्यक्षता कर रहे मू. वाई. आर. एस. राव द्वारा बामसेफ की नई कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी। नई कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया में निर्वतमान अध्यक्ष की सहायता हेतु सदन द्वारा General Body से चार नाम प्रस्तावित किये गये जिसमें क्रमशः मू. एन. गंगाधर, मू. अरूणा तिरपुड़े, मू. सतीश मेहरा तथा मू. सोढीराम झल्ली शामिल रहे। उक्त पांचों सदस्यों द्वारा वर्ष 2024–26 हेतु नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी हेतु 25 कार्यकारिणी सदस्यों की सूची तैयार कर प्रस्तुत की गयी। नवनिर्वाचित सदस्यों द्वारा आपस में विचार विमर्श एवं सहमति से मू. आर. एल. ध्रुव को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। इसके पश्चात् नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा कार्यकारिणी सदस्यों की सहायता से अन्य पदों हेतु पदाधिकारियों का चयन किया गया। नवनिर्वाचित सम्पूर्ण कार्यकारिणी का विवरण इस प्रकार है –

1. मू. आर. एल. ध्रुव	– राष्ट्रीय अध्यक्ष
2. मू. आर. एस. राम	– राष्ट्रीय महासचिव
3. मू. डॉ. संजय इंगोले	– राष्ट्रीय उपाध्यक्ष (दक्षिण)
4 मू. डॉ. हरे राम सिंह	– राष्ट्रीय उपाध्यक्ष (पूर्व)
5. मू. सुनीता कपरवाल	– राष्ट्रीय उपाध्यक्ष (उत्तर)
6. मू. सुरेश द्रविड़	– राष्ट्रीय उपाध्यक्ष (केन्द्रीय)
7. मू. हसमुख चन्द्रपाल	– राष्ट्रीय उपाध्यक्ष (पश्चिम)
8. मू. संजय मोहिते	– संगठन सचिव
9. मू. एन. श्रीधर	– संगठन सचिव
10. मू. मनोज कुमार	– संगठन सचिव
11. मू. शत्रुजीत सिंह	– संगठन सचिव
12. मू. शर्मिष्ठा गौतम	– संगठन सचिव
13. मू. प्रेमपाल गौतम	– केन्द्रीय कार्यालय सचिव
14. मू. अनिल उज्जैनवाल	– राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष
15. मू. एम. डी. चन्दाशिवे	– निदेशक प्रशिक्षण
16. मू. सीताराम	– मीडिया इन्चार्ज
17. मू. एन. गंगाधर	– सदस्य
18. डॉ. निलिमा बागड़े	– सदस्य
19. मू. आलोक कुमार	–सदस्य
20. मू. डॉ. महीपाल	–सदस्य
21. मू. कर्मवीर टंडन	–सदस्य
22. मू. ए. के. दिवाकर	–सदस्य
23. मू. नितिन थाबल्के	–सदस्य
24. मू. कविता मडावी	–सदस्य
25 मू. नितिन गनोरकर	–सदस्य

मू. आर. एस. राम

मू. इजी. रमाशंकर राम का जन्म आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ है। बचपन से ही इनका झुकाव फूले अंबेडकरी, बहुजन आंदोलन की तरफ रहा है। हाई स्कूल के दौरान आप फूले–अंबेडकरी आंदोलन के तहत कई कैडर कैंप अटेंड किया जिसमें एक कैडर कैम्प मू. मोतीराम शास्त्री ने दिया था। आपने 1987 इंटरमीडिएट और 1991 में इंजीनियरिंग की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। इंजीनियरिंग के दौरान आप डॉ. अम्बेडकर इंजीनियरिंग स्टूडेंट एशोसिएशन के पदाधिकारी के रूप में इंजीनियरिंग के छात्रों के बीच फूले–अम्बडकरी विचारधारा के प्रचार–प्रसार के लिए काम किया। आप 1993 से सरकारी सेवा में कार्यरत हैं।

नौकरी की शुरुआत में ही आप माननीय सूबेदार राम साहब के संपर्क में आए और उन्होंने आपको फूले–अंबेडकरी आंदोलन की तरफ जोड़ा। प्रारंभ में आप बहुजन आंदोलन और बौद्ध धर्म के प्रचार और बामसेफ में कार्यरत थे।

1998 में आप यशकाई डी.के. खापर्डे के संपर्क में आए और उनके द्वारा दिया गया दो दिवसीय कैडर कैंप अटेंड किया। तब से लेकर अब तक आपने बामसेफ में विभिन्न जिम्मेदारियां निभाई। 2006 में आप बामसेफ बिहार कार्यकारिणी के सदस्य चुने गए। 2008 में आप बामसेफ उत्तर प्रदेश इकाई के प्रदेश महासचिव चुने गए और फिर उत्तर प्रदेश में बामसेफ प्रस्थापित करने के लिए आपने काम किया। 2011 से 2013 तक आप बामसेफ उत्तर प्रदेश इकाई की प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 2014 में आप बामसेफ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य नियुक्त हुए।

2017 में आप बामसेफ के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी बनाए गये। 2020–22 के लिए आपको राष्ट्रीय महासचिव चुना गया तथा 2022–24 में आपको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चुना गया। आपके द्वारा लिखित विभिन्न आर्टिकल मूलनिवासी टाइम्स और मूलनिवासी ऑर्गेनाइजर दोनों में समय–समय पर प्रकाशित हुए हैं। आपको पठन–पाठन का बहुत शौक है और आप फूले, अंबेडकर सहित मूलनिवासी बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों की पुस्तकों का अध्ययन करते रहते हैं और उसका प्रचार–प्रसार भी समाज में करते रहते हैं। आपने इतिहास और बौद्ध धर्म में विशेष रुचि लेते हुए अध्ययन कर रखा है जिसका लाभ संगठन और समाज को मिलता रहता है। अभी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत सम्पन्न चुनाव में आपको पुनः 2024–26 तक के लिए बामसेफ का राष्ट्रीय महासचिव चुना गया है। ■

मू. आर. एल. ध्रुव

मू. इंजी. आर.एल. ध्रुव का जन्म बलौदा बाजार तत्कालीन रायपुर जिला छत्तीसगढ़ में हुआ। छात्र जीवन से ही सामाजिक कार्यों के तरफ झुकाव रहा है। शुरुआती दौर में आदिवासी संगठनों में काम करते हुए कोरबा जिला का नेतृत्व किया सामाजिक कार्यों के दौरान यह महसूस किया की एससी, एसटी और ओबीसी को एक होकर काम करना होगा। इसलिए बामसेफ के विचारधारा से प्रेरित होकर एक वर्ग के संगठन को छोड़कर बामसेफ के कार्यकारिणी में काम करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही राज्य स्तर पर एससी और एसटी के विभागीय संगठन में भी राज्य स्तर पर नेतृत्व कर रहे हैं। आपने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ए.एम.आई.ई. (इलेक्ट्रिकल), समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र व अर्थशास्त्र के साथ बैचलर डिग्री एवं इंडस्ट्रियल सेफ्टी में पोस्ट डिप्लोमा किया है। इसके अलावा कानूनी विषयों में रुचि होने के कारण सर्विस मैटर, आरक्षण से सबंधित न्यायायिक कार्यवाहियों एवं आदीवासी अधिकार से संबंधित सवैधानिक प्रावधानों पर जागरूकता कार्यक्रम चलाते रहें हैं। आपने अविभाजित मध्य प्रदेश में राज्य के मध्य प्रदेश विद्युत मंडल, बिरसिंहपुर पाली में 1999 में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्य करते हुए वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन के उतरवर्ती कंपनी छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी में एडिशनल चीफ इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। बामसेफ में वर्ष 2004 से कार्य करते हुए 2008 से 2015 के दौरान जिला कार्यकारिणी कोरबा के साथ राज्य कार्यकारिणी में राज्य महासचिव व राज्य अध्यक्ष का जिम्मेदारी का निर्वहन किया है बामसेफ में सक्रियता से कार्य करने के कारण आपको शीघ्र ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह मिली और लगातार छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व किया। उसके पहले ज्यादातर दूसरे राज्य के प्रभारी छत्तीसगढ़ में नियुक्त किया जाता था। वर्ष 2016 से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में जिम्मेदारी मिली। वर्ष 2018 से 2024 तक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दी है। वर्तमान में आपको 2024 से 2026 तक बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ■

बामसेफ के ऑफशूट संगठनों मूलनिवासी संघ, मूलनिवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ, मूलनिवासी सभ्यता संघ, मूलनिवासी विद्यार्थी आदि की आम बैठकों में लिए गये निर्णय के अनुसार उनकी केन्द्रीय कार्यकारिणीयों का गठन भी किया गया।

अंत में केन्द्रीय कार्यकारिणी बामसेफ की बैठक कर सभी राज्यों के अध्यक्षों को नामित किया गया तथा सभी राज्यों के लिए प्रभारी भी नियुक्त किये गये। राज्यों की कार्यकारिणियों का गठन भी जून के अन्तिम सप्ताह तक प्रस्तावित है। इस प्रकार वर्ष 2024 की आम सभा की बैठक सम्पन्न हुई।■

कथनी कथै तो क्या हुआ, करनी न ठहराय। कालबूत का कोट ज्यों, देखत ही ढहि जाय।। – संत कबीर

पीपीआई डी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष बने हरीश मौर्य

मूनिटा संवाददाता, देहरादूनः देहरादून पीपल्स पार्टी ऑफ़ इंडिया डेमोक्रेटिक की उत्तराखंड राज्य इकाई की एक बैठक डॉ अंबेडकर भवन सेवालाकला देहरादून में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दयाराम की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिसका संचालन केपी सिंह ने किया। बैठक में सर्वप्रथम निवर्तमान राज्य अध्यक्ष एडवोकेट डॉक्टर प्रमोद कुमार ने पार्टी की विगत दो वर्ष की संगठन की प्रगति का ब्यौरा प्रस्तुत किया, और उपलब्धियां बताई, उसके बाद रामपाल सिंह ने पार्टी की वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव और उत्तराखंड प्रभारी एडवोकेट डॉक्टर प्रमोद कुमार ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ओर से प्राप्त पत्र सदन के सामने खोला जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा चयनित राज्य अध्यक्ष के रूप में हरीश मौर्य के नाम की घोषणा की। उसके पश्चात नवनियुक्त राज्य अध्यक्ष हरीश मौर्य ने उनके चयन के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आभार जताया और पार्टी संगठन की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की बात कही। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि उनके कार्यकाल में पार्टी को सफलता दिलाने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। इस अवसर पर बोलते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दयाराम ने कहा कि देश के संविधान के आधार पर चलने वाली पूर्णतया संस्थागत

लोकतांत्रिक पाटी के रूप में इस समय केवल पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ही एकमात्र पाटी है। जो व्यक्तिवाद, परिवारवाद, सुप्रीमोवाद, पूंजीवाद से मुक्त है। जिसमें प्रत्येक निर्णय लोकतांत्रिक तरीके से लिया जाता है। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारत के निर्माण के प्रति पार्टी कृतसंकल्प है। उन्होंने उत्तराखंड में पार्टी की प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें विश्वास है कि उत्तराखंड राज्य में पार्टी अति शीघ्र राजनीतिक सफलता भी हासिल करेगी। विगत दो वर्षों में पार्टी की प्रगति की उन्होंने सराहना की और इसे और अधिक गति से आगे बढ़ाने के लिए नव नियुक्त कार्यकारिणी से अपेक्षा व्यक्त की। बैठक को रामपाल सिंह, एडवोकेट डॉक्टर प्रमोद कुमार, श्याम सिंह, नरेश चंद्र, नरेंद्र गौतम आदि ने भी अपने विचार रखें। इसके पश्चात नई राज्य कार्यकारिणी के गठन के लिए पांच सदस्य समिति का गठन किया गया। जिसकी घोषणा राज्य अध्यक्ष ने की। जिसमें रामपाल सिंह, एडवोकेट डॉक्टर प्रमोद कुमार, हरीश मौर्य, नरेंद्र गौतम, नरेश चंद्र शामिल रहे। समिति द्वारा नई राज्य कार्यकारिणी हेतु विचार विमर्श कर चयन किया गया। जिसकी घोषणा राज्य प्रभारी एवं राष्ट्रीय संगठन सचिव एडवोकेट डॉक्टर प्रमोद कुमार ने की। जिसमें राज्य अध्यक्ष के रूप में मू. हरीश मौर्य उपाध्यक्ष एडवोकेट मू. कविता बेनीवाल, मू. महावीर सिंह, मू. हरीश खोरवाल, महासचिव मू. केपी सिंह, मू. वित्त सचिव श्याम सिंह, कार्यालय सचिव मू. आरबी राम, संगठन सचिव मू. मनोज तिनसोला, मू. प्रकाश आगरी, मू. किशोरी लाल, मू. पुष्कर बैछवाल, मू. सुधीर मू. कुमार, मू. शिव कुमार, राज्य कार्यकारिणी सदस्य मू. राजेंद्र प्रसाद, मू. सुरेशी कोहली, मू. प्रदीप कुमार, मू. तुलसी, मू. चंदन राम, मू. गुलाब सिंह शामिल है।■

महाराष्ट्र के कार्ला मे विद्यार्थी शिविर सफलतापूर्वक संपन्न

मूनिटा संवाददाता पुणेः लोणावला के नजदीक कार्ला स्थित अलकेश मोडी कैम्पस मे तीन दिवसीय मूलनिवासी विद्यार्थी शिविर का आयोजन बामसेफ और मूलनिवासी विद्यार्थी संघ के संयुक्त तत्वधान मे किया गया, जिसमें 54 विद्यार्थियों ने भाग लिया। दिनांक 7 जून से 9 जून 2024 तक चलने वाले इस शिविर का उद्‌घाटन बामसेफ महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष मू. एम. डी. चंदनशिवे ने किया। उन्होंने शिविर का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति के प्रारम्भिक जीवन में व्यक्तित्व के हर पहलू के विकास से ही जीवन सफल होता है। इसी विकास को ध्यान में रखकर इस शिविर की रचना और आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मूलनिवासी विद्यार्थी संघ के प्रदेश अध्यक्ष मू. गोपाल घेवंदे, बामसेफ के प्रदेश कोषाध्यक्ष मू. अरुण गोड़घाटे, मू. जे. एच. चव्हाण आदि वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित थे।

पहले दिन स्वागत, राष्ट्रीय गीत, उद्‌घाटन समारोह के बाद त्रिशरण गवई द्वारा तीन दिन की रूपरेखा रखी गई, जिसके बाद उपस्थित छात्रों ने विस्तार से अपना अपना परिचय दिया। नैतिकता के आधार पर चरित्र के सर्वांगीण विकास विषय पर मार्गदर्शन करते हुये मू. डॉ. रविंद्र श्रावस्ती ने व्यक्तित्व के शारीरिक, मानसिक विकास की विस्तार से चर्चा करते हुए चरित्रवान व्यक्ति के गुण बताकर नैतिकता और चारित्रय का संबंध स्पष्ट किया।

अगले सत्र मे महामानवों के आंदोलन, इतिहास एवं कार्य पर मू. जे. एच. चव्हाण ने विस्तार से चर्चा की। इसी दिन शाम को कतर से मू. उत्तम वैद्य जी ने कम्युनिकेशन एँड लीडरशिप स्किल डेवलपमेन्ट विषय पर ऑनलाईन संवाद कर कुछ प्रैक्टिकल के माध्यम से विषय को बढ़िया तरीके से समझाया।

दूसरे दिन सुबह सभी छात्रों ने व्यायाम किया। जिसके बाद के सत्र में सामाजिक और राजनैतिक परिवर्तन में संगठन की महत्ता बताते हुये संगठन के विभिन्न अंग, उनका आपसी संतुलन, संगठन का संस्थाईकरण, बामसेफ का कार्य, आदि के बारे मे बामसेफ के प्रदेशाध्यक्ष मू. एम. डी. चंदनशिवे ने विस्तार से संवाद करते हुये बताया कि व्यक्ति परक संगठन, संगठन न होकर एक व्यक्ति के पीछे लगी भीड़ होती है।

आगे संबोधि IAS केरियर अकेडेमी के संचालक मू. मंगेश बोरकर इन्होने सिविल सर्विस में जाने के विभिन्न मार्ग बताते हुये ऊनकी तैयारियां, चयन, चयन के बाद सवैंधानिक जिम्मेदारी का निर्वाहन आदि के बारे में विस्तार से मार्गदर्शन किया। उपस्थित छात्रों के आशंका का भी निराकरण किया।

मूलनिवासी पब्लिकेशन के चेयरमेन मू. धनंजय झाकर्डे ने विद्यार्थी और युवा के भूतकाल, वर्तमान और भविष्य की चर्चा करते हुये जिम्मेदारी का अहसास दिलाया। अमेरिका से ग्लोबल अम्बेडकराइट नेटवर्क के मू. प्रज्ज्वल थुल ने विश्व के विभिन्न देशों में पढ़ाई की जानकारी देते हुये छात्रवृत्ति, खर्चे, आदि के बारे में छात्रों से ऑनलाइन संवाद किया। इसमें लगभग सभी छात्रों ने चर्चा में भाग लिया। रात को कलाचारिक कार्यक्रम में छात्रों ने कविता, गाने, आंदोलन के गीत का बढ़िया प्रदर्शन किया और कलाचारिक कार्यक्रम का आनंद लिया।

तीसरे दिन पहले सत्र में बामसेफ के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष मू. एम. डी. चंदनशिवे ने शिक्षा व्यवस्था के संबंध में छात्रो से संवाद करते हुये मनुष्य के व्यक्तित्व विकास में अनौपचारिक और औपचारिक शिक्षा का महत्व, प्राचीन से आज तक की शिक्षा व्यवस्था, भारत की शिक्षा व्यवस्था और संविधान की अपेक्षा, विभिन्न शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नितियां, सत्ता में बैठे लोगों की विचारधारा और मूलनिवासी बहुजनों की शिक्षा व्यवस्था पर होने वाले विपरीत दुष्परिणाम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आदि के संबंध मे विस्तार से चर्चा की।

मू. चंदनशिवे ने आगे कहा कि नई शिक्षा नीति में भारतीयता की बात की है लेकिन क्रेडिट सिस्टम तो जर्मनी से आयात किया है। और उसके अमल की कोई सुनियोजित व्यवस्था भी नही है। उन्होंने भारतीय संविधान के मानवीय मूल्य के आधार पर राष्ट्र निर्माण के लिये छात्रों को सजग रहने का आवाहन भी किया। जिंदगी का आर्थिक नियोजन इस विषय पर मू. विक्रांत लोखंडे इन्होने म्यूचुअल फंड, विभिन्न पॉलिसीज, आदि के बारे मे मार्गदर्शन किया।

भारतीय संविधान और BS4 अभियान की जानकारी देते हुये संविधान के जानकार और बामसेफ केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य मू. डॉ. विनोद पवार ने छात्रों से ऍक्टिविटी करके विषय को बखुबी समझाया। संविधान की विशेषताए, संविधान का निर्माण, संविधान की महत्ता, विश्व में संविधान की गरिमा, आदि बातें स्पष्ट की। BS4 अभियान की जानकारी देकर सहभागिता का आह्वान किया। मू. डॉ. विनोद पवार और मू. एम. डी. चंदनशिवे इन्होने छात्रों से प्रतिनिधित्व, आरक्षण के बारे में संविधान विरोधियों ने फैलाई हुई भ्रांती के बारे मे चर्चा की। आरक्षण और प्रतिनिधित्व मे अंतर, क्या प्रतिनिधित्व के कारण गुणवत्ता गिर जाती है? क्या प्रतिनिधित्व अन्य जाति पर अन्यायकारक है? क्या संविधान सिर्फ अनुसूचित जाति-जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यांक की बात करता है? आदि भ्रांती और सवालों पर महत्वपूर्ण जाणकारी प्रदान की।

समारोपीय सत्र में छात्रों ने अपने अनुभव बयां किए। छात्रों ने बताया कि जिंदगी मे ऐसा परिपूर्ण शिविर आज तक नही देखा। हर छुट्टी में हर साल शिविर की अपेक्षा व्यक्त करते हुये छात्रों ने इसके आयोजन में साथ सहयोग देने की तैयारी दिखाई। शिबिर में MBBS, B.Tech, BE, Law, B.Sc, BA, MA, B.Com, UPSC, MPSC की तैयारी करने वाले छात्रों के साथ जूनियर कॉलेज के छात्र भी उपस्थित थे।

शिविर को सफल बनाने के लिये बामसेफ के सभी राज्य कार्यकारिणी सदस्य, शिविर आयोजन समिति, मूलनिवासी विद्यार्थी संघ के मू. गोपाल घेवंदे, मू. त्रिशरण गवई, मू. प्रज्ञा मोरे, बामसेफ के पूना जिला अध्यक्ष भारत मोरे, मूलनिवासी संघ के मू. व्ही. के. सूर्यवंशी, आदि ने सहयोग किया।■

प्रतिनिधित्व विहीन उच्च न्यायपालिका सामाजिक न्याय के विरोध में?

नवंबर 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में आरक्षण के दायरे को बढ़ाए जाने संबंधी विधेयक पेश किया था। इसके आधार पर अनुसूचित जाति का आरक्षण 16% से बढ़ाकर 20%, अनुसूचित जनजाति का 1% से बढ़ाकर 2%, ओबीसी का 12% से बढ़ाकर 18% तथा ईबीसी का 18% से बढ़ाकर 25% करने का प्रस्ताव था। सदन के शीतकालीन सत्र में 9 नवंबर को पिछड़े वर्ग अर्थात ओबीसी, एससी, एसटी तीनों को मिलाकर आरक्षण सीमा 65 प्रतिशत किए जाने के फैसले को बिहार विधानमंडल के दोनों सदन, विधानसभा तथा विधान परिषद से पारित भी कर दिया और 21 नवंबर 2023 को राज्यपाल की मंजूरी के बाद आरक्षण बढ़ाए जाने संबंधी विधेयक कानून बन गया तथा पूरे राज्य में लागू हो गया। इस कानून के बनने के बाद आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों के 10 प्रतिशत कोटा को मिलाकर कुल आरक्षण 75 प्रतिशत हो गया था।

जातिवार गणना की रिपोर्ट की आधार पर बढ़ाया था कोटा

बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को जारी जातिवार गणना की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए आरक्षण की सीमा को बढ़ाया था। इस रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में अति-पिछड़ा वर्ग की आबादी सबसे अधिक 36.01 प्रतिशत है, वहीं पिछड़ा वर्ग 27.12, एससी 19. 55, एसटी 01.06 तथा अन्य 15.52 प्रतिशत हैं। ओबीसी, एससी, एसटी का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात की दिशा मे लागू होते ही मनुवादी मानसिकता की तथाकथित सवर्ण जातियाँ जो जनसंख्या मे 10% से भी कम हैं और जिन्होने देश के सारे संसाधनो पर कब्जा कर रखा है तुरन्त इन्दिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 50 प्रतिशत की सीमा से ज्यादा आरक्षण नहीं दिए जाने के निर्णय को आधार बनाकर बिहार सरकार द्वारा आरक्षण सीमा बढ़ाने संबंधी कानून को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी। पटना हाईकोर्ट ने संबंधित याचिकाओं पर बीते 11 मार्च को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था और 20 जून को मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन एवं जस्टिस हरीश कुमार की खंडपीठ ने बिहार आरक्षण (एससी-एसटी व ओबीसी के लिए) संशोधन अधिनियम 2023 तथा बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए) आरक्षण संशोधन अधिनियम, 2023 को रद्द कर दिया। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आरक्षण की सीमा बढ़ाने के पहले ना तो कोई गहन अध्ययन किया गया और ना ही सही आंकलन किया गया। अदालत ने इसे संविधान प्रदत्त समानता के अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन भी बताया। याचिकाकर्ताओं का भी कहना था कि आरक्षण आबादी की बजाय सामाजिक तथा शिक्षा में पिछड़ेपन के आधार पर होना चाहिए, यह समानता के अधिकार का उल्लंघन है।

उच्च न्यायपालिका सामाजिक न्याय के विरोध में?

1- संविधान लागू होते ही सुप्रीम कोर्ट ने 1951 मे स्टेट ऑफ मद्रास बनाम चम्पकदुरईराजन केस मे आरक्षण के विरोध मे फैसला दिया था कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर मिलने वाल प्रतिनिधित्व जो वर्तमान मे अनुच्छेद 16(4) है, वह अनुच्छेद 15(1) का उलंघन करता है। इसके बाद ही संविधान का प्रथम संशोधन हुआ जिसकी बहस मे पंडित नेहरू और डॉ. अंबेडकर दोनों ने भाग लिया और कहा कि क्योंकि भारत में भारत की एक बड़ी आबादी को सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़ा रखा गया है और उनको अवसरों से वंचित किया गया है इसलिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर ही होना चाहिए। इस प्रकार अम्बेडकर और नेहरू दोनों ने सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर मिलने वाल प्रतिनिधित्व के समर्थन मे बोला जबकि जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर मिलने वाल प्रतिनिधित्व के विरोध मे बोला और अमेंडमेंट का विरोध किया और कहा कि अगर जरूरत है तो आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। अंतत बिल पारित हुआ जो आज की तिथि मे भारत के संविधान का अनुच्छेद 15(4) है।

2- मंडल कमीशन केस में भी निर्णय ओबीसी रिजर्वेशन संवैधानिक है या नहीं इस पर देना था और एससी/एसटी आरक्षण का मामला विचाराधीन भी नहीं था परंतु तत्कालीन उच्च न्यायपालिका ने इस निर्णय में अनुसूचित जाति और जनजाति का प्रोन्नति में आरक्षण को 5 अगले वर्षों के दौरान समाप्त करने का आदेश दे दिया।

3- मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी आरक्षण के लिए 50 प्रतिशत की तय सीमा नहीं तोड़ी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंदिरा साहनी केस में आया फैसला सही है और इसकी समीक्षा करने की कोई जरूरत नहीं है। परंतु सुप्रीम कोर्ट EWS कैटेगरी को आर्थिक आधार पर 10 परसेंट मिलने वाले आरक्षण को संवैधानिक कैसे घोषित कर दिया जबकि यह भी 50 परसेंट की सीमा को तोड़कर बना हुआ है। पिछड़े वर्गों को आरक्षण देना था तो कालेलकर से मंडल आयोग तक कुल 40 वर्ष लगे जब आर्थिक आधार पर आरक्षण देना था तो बिना आयोग, बिना चर्चा के 3 दिन में इसे संवैधानिक कैसे घोषित कर दिया?

4- जब ईडब्ल्यूएस कोटा आनन-फानन में लागू हुआ था, उस समय इस संबंध में ना तो कोई सर्वे रिपोर्ट आई थी, ना ही कोई स्टडी रिपोर्ट आई थी और ना ही कोई इस पर कमेटी गठित हुई थी और ना ही देश में इस पर चर्चा हुई। बल्कि इसे तीन दिन के भीतर ही लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई और यह कानून बन गया। जबकि आर्थिक आधार पर आरक्षण संविधान की मूल भावना के विपरीत है क्योंकि संविधान में कहीं भी आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान नहीं था। यह 10% का ईडब्ल्यूएस कोटा जिसे सुदामा कोटा भी कहते है, यह भी 50% की सीलिंग के ऊपर था लेकिन जब पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सहित तमाम संगठनों ने इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में गये तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे संवैधानिक घोषित कर दिया। एक ही देश में क्या न्यायपालिका दो मापदंड रख सकती है? क्योंकि जब ओबीसी, एससी, एसटी को आरक्षण बढ़ाने की बात हो तो वह कह रहे हैं कि 50% की सीलिंग है और जब जनरल कैटेगरी को 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण देना हो तो 10% की सीलिंग कहां खत्म हो जाती है?

उपरोक्त तथ्यों से लगता है कि उच्च न्यायपालिका देश में सामाजिक न्याय के सिद्धांत को महत्व नहीं देती और ओबीसी, एससी, एसटी को उनको मिलने वाले संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने में हमेशा आगे रहती है। देश में तमाम घटनाएं ओबीसी, एससी, एसटी के ग्रुप में अन्याय अत्याचार की घटती रहती है परंतु कभी भी देश की सुप्रीम या हाई कोर्ट को ऐसी घटनाओं का स्वतः संज्ञान लेकर के कार्यवाही नहीं करती है।

उच्च न्यायपालिका नहीं सवर्ण न्यायपालिका?

कानून मंत्रालय - भारत सरकार द्वारा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के समक्ष पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष जनवरी 2018 से दिसंबर 2022 तक, पाँच वर्षों के दौरान भारत के विभिन्न हाईकोर्ट में नियुक्त न्यायाधीशों में 79% न्यायाधीश तथाकथित ऊंची जातियों के सवर्ण लोग है। जबकि इसी 5 वर्षों के दौरान नियुक्त होने वाले ओबीसी से न्यायाधीश मात्र 11% हैं।

इसी दौरान नियुक्त होने वाले अनुसूचित जाति से न्यायाधीश मात्र से 2.8% हैं।

इसी दौरान नियुक्त होने वाले अनुसूचित जनजाति से न्यायाधीश मात्र 1.3% हैं।

इसी दौरान नियुक्त होने वाले अल्पसंख्यक समुदाय से न्यायाधीश मात्र 2.6% हैं।

इस दौरान कुल 537 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई जिसमें से 20 न्यायाधीशों की सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी। इस प्रकार यह रिपोर्ट 517 न्यायाधीशों की सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित है।

रिपोर्ट से स्पष्ट है कि ओबीसी, एससी, एसटी (अर्थात मूलनिवासी बहुजन समाज) जिसकी आबादी 85% से लेकर 90 फीसदी तक है इस वर्ग से न्यायाधीशों की संख्या मात्र 15% है जबकि तथाकथित सवर्ण जातियां जिनकी आबादी मात्र 10 से 15 परसेंट तक है न्यायपालिका में उनका प्रतिनिधित्व 79% है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि उच्च न्यायपालिका में देश की आजादी के बाद 75 वर्षों बाद भी सामाजिक परिवर्तन नहीं हुआ और उच्च न्यायपालिका अभी भी पूरी तरह से सवर्ण न्यायपालिका के रूप में बनी हुई है। भारत में विद्यमान सामाजिक विविधता उच्च न्यायपालिका में बिलकुल नदारद है।

क्या इसके लिए केवल कॉलेजियम के न्यायधीश दोषी हैं या इसके लिए भारत सरकार भी दोषी है?

ध्यान रहे कि उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम संस्तुति करता है और भारत के राष्ट्रपति महोदय कानून मंत्रालय के माध्यम से ही न्यायाधीशों के नियुक्त करते हैं। इसलिए कानून मंत्रालय न्यायधीशों की नियुक्ति की फाइल अपने सुविधानुसार लटकाता और अटकाता भी है। इसलिए नियुक्त किए जाने वाले न्यायाधीशों में न केवल कोलेजियम में कार्यरत न्यायाधीशो के पसंद के लोग नियुक्त होते हैं बल्कि सत्ताधारी दल के पसंद के लोग भी न्यायाधीश बनते हैं। इन पाँच वर्षों मे नियुक्त न्यायधीशों की पृष्ठिभूमि से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उसमें सत्ताधारी दल की पसंद के कितने न्यायधीश हैं। इसका मतलब है कि सत्ताधारी दल के पसंद के वकील या फिर सत्ताधारी दल से संबन्धित तथाकथित ऊंची जातियों के वकील न्यायधीश बन जाते हैं लेकिन यही सत्ताधारी दल ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के लोगों को न्यायधीश नहीं बनवाता है। इसका मतलब यह है कि ओबीसी, एससी, एसटी को उच्च न्यायपालिका में भागीदारी नहीं देने के लिए न केवल कोलेजियम सिस्टम जिम्मेदार है बल्कि वर्तमान केंद्र सरकार भी उतना ही जिम्मेदार है।■

बामसेफ का मूल लक्ष्य व्यवस्था परिवर्तन है

- सुरेश द्रविड़
(राष्ट्रीय संयोजक, NCC-MBO)

बामसेफ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले सामाजिक क्रांति संस्थान रिंगनाबोढी नागपुर में 15-16 जून को पुनर्गठन किया गया है, इसके पश्चात संगठन और संगठन के बाहर तथा शुभचिंतकों में कई प्रकार की क्रिया और प्रतिक्रियाएं देखने को मिली है। इन सभी क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं पर जहां कुछ मुद्दों पर संगठन के उचित प्लेटफार्म पर चर्चा करने की आवश्यकता है लेकिन कुछ ऐसे बिंदु भी है जिनकी इससे बाहर भी चर्चा की जा सकती है, अर्थात शोशल मीडिया या आम जनमानस के बीच में भी चर्चा की जा सकती है और उन सामान्य सवालों पर चर्चा, विश्लेषण करना बेहद जरूरी है।

धीरे-धीरे हम आगे बढ़ रहें हैं

बामसेफ संगठन ने निरंतर अपनी कमियों, कमजोरियों को दूर किया है, बहुत से साथी आदर्श और पवित्र स्थिति की चाह रख रहे है, जिसके लिए कार्यकर्ताओं और समाज तथा समर्थकों को उस स्तर पर जाने के सभी स्तरों पर मानसिक, वैचारिक और भावनात्मक विकास की आवश्यकता है। बामसेफ के कार्यकर्ता का मूल लक्ष्य व्यवस्था परिवर्तन है, इसलिए इसी को अधिक से अधिक महत्व देना है और देना चाहिए।

बामसेफ को अभी और सफर तय करना है

बामसेफ ने वर्ष 2018 के राष्ट्रीय अधिवेशन से बीएस-4 महा जनजागरण अभियान की शुरूआत करके और बीएस-4 के माध्यम से 'बीएस-4 मिशन 24', सामाजिक लोकतंत्र की ओर, के माध्यम से देश में बहुत बड़ा बदलाव किया है क्योंकि इस अभियान के माध्यम से उठाए गए मुद्दों को विभिन्न राजनैतिक पार्टियों को अपना चुनावी मुद्दा बनाना पड़ा।

इंडिया गठबंधन को जाति जनगणना, संविधान और लोकतंत्र, ओबीसी की हिस्सेदारी, निजीकरण का विरोध, महिलाओं के अधिकारों और क्रीमीलेयर जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ना पड़ा। इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में भी व्यापक सोच समझ बनी है और जनता ने देशहित, संविधान हित और मानव हित को समझते हुए, इस चुनाव को अपना चुनाव समझ कर लड़ा तथा जनता को इसमें जीत भी हासिल हुई। देश की जनता को इसके लिए बधाई।

मैं इसकी बधाई फुले-अम्बेडकरी आंदोलन और विचारधारा से जुड़े उन तमाम संगठनों और साथियों को देता हूं जिन्होंने इस बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, चाहे वो राजनैतिक दलों के साथी ही क्यों न हो। कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़े संगठनों ने भी संविधान और लोकतंत्र के पक्ष में खड़े होकर, विभिन्न ट्रेड यूनियनों ने मिलकर एक विपक्ष की भूमिका निभाई, उन ईमानदार और देश प्रेमी कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई, मंगलकामनाएं।

बामसेफ संगठन ने समय-समय पर समाज में नया नेतृत्व पैदा किया है, इसमें और अधिक बढ़ोतरी करनी होगी, व्यक्तिवाद से बचना होगा, व्यक्तिवाद से कैसे बचे और बचाए, इस पर और अधिक कार्य करना होगा। इसलिए लोगों को अवसर देना होगा, प्रोत्साहित करना होगा और अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं का मानसिक वैचारिक विकास करना होगा। नये साथियों को अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने होंगे। संगठन का पदाधिकारी बनना महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि संगठन के माध्यम से लक्ष्य और उद्देश्य हासिल करना महत्वपूर्ण है, इस बात को भी समझना होगा और समझाना होगा।

बहुजन समाज में सामंजस्य स्थापित करने और तालमेल स्थापित करने वाला बामसेफ एकमात्र और पहला संगठन

मूलनिवासी बहुजन संगठनों का सामाजिक अभिशरण ही राष्ट्रनिर्माण और राष्ट्र विकास की आधार शिला है। बामसेफ संगठन ने अनेक संगठनों और संस्थाओं के साथियों को नागपुर में बुला कर NCC-MBO की स्थापना की और देश के विभिन्न संगठनों के मध्य तालमेल बढ़ाया, इस प्रक्रिया को अभी और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।

आज हमें समाज में लोकतंत्र के प्रकार इस पर कार्य करना चाहिए और लोकतंत्र और संविधान की आदर्श और पवित्र स्थिति तक ले जाना चाहिए, एकदम आदर्श और पवित्र स्थिति हासिल नहीं की जा सकती, धीरे धीरे हमें इस दिशा में बढ़ते रहना चाहिए और इसकी प्राप्ति के बिना नहीं रूकना चाहिए। आज हम इस प्रक्रिया से गुजर भी रहे हैं और इस मानसिक विकास की प्रक्रिया से गुजरना और निरंतर अपने अंदर सुधार करना एक दिन हमें मंजिल की ओर ले जाएगा।

कार्यकर्ताओं को हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है

कार्य करते समय कुछ उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है, इन उतार चढ़ावों से हमें कभी भी निराश और हताश नहीं होना चाहिए। संगठन भी शरीर की तरह होता है, इसलिए समय-समय पर, परिस्थितियों के अनुसार कुछ बदलाव होते रहते हैं लेकिन हमें अपने वास्तविक लक्ष्य को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। इसकी प्राप्ति के लिए हमेशा कार्य करते रहना चाहिए। अपने संगठन और कार्यक्रमों का ईमानदारी से विश्लेषण करते रहना चाहिए और संगठन हित मे आवश्यक सुझाव देने से कभी भी गुरेज नहीं करना चाहिए। इससे भले ही संगठन का नेतृत्व नाराज हो, लेकिन इन सुझावों के प्रति हमें भी इतना रुढ़ नहीं होना चाहिए कि हमने जो कह दिया, वही सही है और इसी एक बात के पीछे लग जाना यह भी उचित नहीं है। हो सकता है कि एक समय हमारी बात न सुनी जाए या हमारी बात से ज्यादा कुछ और ही महत्वपूर्ण हो। संयम भी संगठन का अति महत्वपूर्ण आयाम है, कार्यकर्ताओं को संयमित होना भी जरूरी होता है। हमारा लक्ष्य महान है। इसके लिए दिन-रात और अधिक ऊर्जा से काम करना है। भारतीय संविधान को लागू करने की बोली, तय करेगी, आगामी शासन की दूरी, प्रचार करो, विस्तार करो, स्थापित करो।■

आर्य-पुत्रों के बौद्धिक षड्यंत्र को समझने में असावधानी क्यों?

- दयाराम
(राष्ट्रीय अध्यक्ष, पीपीआई डी)

मूलनिवासी समाज का बुद्धिजीवी वर्ग जब आर्य-पुत्रों के बौद्धिक षड्यंत्र को समझने में भ्रमित है फिर अनपढ़ व्यक्ति के विषय में क्या कहा जा सकता है? लोकसभा चुनाव के दौरान सोशल मीडिया में नागपुर लोकसभा के प्रत्याशी रहे नितिन गडकरी ने अपने सम्बोधन में कहा हमारे देश में 'घोड़े खा रहे घास गधे खा रहे च्यवनप्राश' मूलनिवासियों को लगा कि अब मूलनिवासियों की मन्शा पूरी होगी क्योंकि भाजपा के दो दिग्गजों नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी में जबरदस्त भिड़न्त हो गयी है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के दौरान भाजपा नेताओं के बीच पहुंच कर हाथ जोड़कर कर सबका अभिवादन किया किन्तु नितिन गडकरी के पास पहुंचकर उनसे मुंह मोड़ लिया और इतना ही नहीं एक स्थान पर तो प्रधानमंत्री का भाजपा नेताओं ने खड़े होकर अभिवादन किया किन्तु नितिन गडकरी उनके सम्मान में खड़े तक नहीं हुए और अपनी सीट पर बैठे ही रहे। मीडिया ने प्रचारित किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी में अब भारी मतभेद हो चुका है। उस समय तो लोगों को और विश्वास होने लगा था कि जब उन्हें टिकट बहुत बाद में वितरित किया गया। इतना ही नहीं एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों के विरोध में जहर उगल रहे थे तो नीतिन गडकरी मुसलमानों के पक्ष में बोल रहे थे। इन सबके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन गडकरी को टिकट भी दिया और चुनावी सभा में नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की प्रशंसा भी की परिणाम नितिन गडकरी के पक्ष में निकला। यह साम, दाम, दण्ड, भेद की नीति आर.एस.एस. द्वारा रची गयी जिसे सभी नहीं समझ सके। बहुत इन्तजार के बाद भी भारत के भ्रमित मूलनिवासियों की चाहत का भाग्य से छींका नहीं टूटा। फिर भाजपा सत्ता में आ गयी।

भाजपा का दूसरा बौद्धिक षड्यंत्र भी लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी, अमित शाह बनाम योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बीच शुरू किया गया। वाक युद्ध भी गोदी मीडिया द्वारा संचालित किया गया कि मोदी-योगी के बीच की तना-तनी भाजपा सरकार को ले डूबेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागरिक अधिकारों से अपरिचित नहीं हैं। देश के किसी नागरिक के घर को उजाड़ने का अधिकार किसी भी सरकार को नहीं है बल्कि उजड़े हुए नागरिकों को बसाने की जिम्मेदारी सरकार की है। फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा देश के नागरिकों के घरों पर बुल्डोजर चला कर ध्वस्त करना और देश के प्रधानमंत्री का चुप्पी साध लेना यह भी आर्य-पुत्रों का वोट प्राप्त करने की गहरी साज़िश है। उनकी मन्शा रही है कि मूलनिवासियों में भय निर्माण कर उन्हें अपने नियंत्रण में कर उनका वोट हासिल कर राजनीतिक सत्ता पर दीर्घकाल तक काबिज रहना चाहिए। मीडिया द्वारा यह प्रचार कि योगी की कुर्सी कब चली जाय कुछ कहा नहीं जा सकता। किन्तु मूलनिवासियों की मन्शा पूरी होती नहीं दिखी। वह आर्य-पुत्रों की मिली भगत की राजनीति को समझने से कोसों दूर हैं। इसलिए कि भारत का मूलनिवासी आर्य-पुत्रों की नीति और रणनीति जो शास्त्र सम्मत है, नहीं पढ़ता। उसे जिन महापुरुषों की बदौलत मान-सम्मान की जिंदगी जीने का अवसर मिला वह उनके विचारों को भी पढ़ने और समझने की भी जुर्रत नहीं करता। बसपा संस्थापक काशीराम जी के अनुसार, 'मैं बाबा साहब की केवल एक किताब पढ़ कर पागल हो गया और घर-बार छोड़कर बाबा साहब के मिशन को पूरा करने में लग गया। पता नहीं यह कैसे

(शेष पृष्ठ संख्या 10 पर...)

स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल कयूम अंसारी एक अद्भुत बुद्धिमत्ता का व्यक्तित्व

लेखक -मो. आरिफ अंसारी।
अनुवाद -मोहम्मद अल्तमश

सदियों से दबी-कुचली मोमिन बिरादरी में यह एक नए इन्कलाब का आग़ाज था। पहले अन्जुमन इस्लाह-बिल-फ़लाह फिर जमीयत-उल-मोमिनीन के नाम से यह तहरीक (आंदोलन) आगे बढ़ती रही जो 1928 ई. में ऑल इण्डिया मोमिन कॉन्फ्रेंस में तब्दील हो गई। अब्दुल क्यूम अंसारी अपनी सियासी ज़िन्दगी के आग़ाज से ही कांग्रेस, ख़िलाफ़त तहरीक और मोमिन तहरीक से वाबस्ता (जुड़े) थे लेकिन जब अपने वसीअ तर (बड़े) नस्ब-उल-ऐन (मक़सद) के साथ मोमिन तहरीक के क़ायद (नेता) बने तो वह एक मज़बूत सियासी ताक़त बन कर मुल्क के सियासी मन्ज़रनामे पर उभरे। अंसारी साहब ने तहरीक-ए-आज़ादी की तमाम तर सियासी सरगर्मियों के साथ ही मुसलमानों के पसमांदा तबक़ात को समाजी इन्साफ़ दिलाने के लिए अपनी ज़िन्दगी वक्फ़ (समर्पित) कर दी। उनका सब से बड़ा कारनामा मोमिन तहरीक को तहरीक-ए-आज़ादी में अमली तौर पर शामिल कर के कांग्रेस की सब से बड़ी हलीफ (हिमायती) जमाअत बना देना था जिस के सबब मुल्क की सियासत ही बदल गई।

अब्दुल कयूम अंसारी साहब का जन्म 1 जुलाई 1905 को तथा देहान्त 18 जनवरी 1973 को हुआ था। मुसलमानान-ए-हिन्द ने जंग-ए-आज़ादी में न सिर्फ़ बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया बल्कि हर अव्वल (अगुआ) दस्ते का फ़रीज़ह (कर्तव्य) अंजाम दिया। लाखों की तादाद में उलेमा, सियासी तथा समाजी रहनुमाओं (नेताओं) और आम लोगों को जाम-ए-शहादत नोश करनी पड़ी। मुख़्तलिफ जेलों में क़ैद-ओ-बन्द की सऊबतें (कठिनाई) हत्ता कि काला पानी की सज़ा झेलनी पड़ी और ज़मीन-जायदाद की ज़ब्ती, नीलामी और तबाही-ओ-बर्बादी के मराहिल (दौर, पड़ाव) से गुज़रना पड़ा। इन अदीम-उल-मिसाल (जिस की मिसाल न हो) क़ुर्बानियों के सिले में आज़ादी हासिल हुई। इन पुरख़ुलूस रहनुमाओं में एक अहम रहनुमा का नाम-ए-नामी इस्म-ए-गिरामी अब्दुल क्यूम अंसारी (र.अ.) हैं। वह अख़ीर तक मुस्लिम लीग के दो क़ौमी नज़रिये (Two Nation Theory) और तक़सीम-ए-हिन्द (बंटवारे) की शदीद (तीव्र) मुख़ालिफ़त करते रहे। एक क़ौम परवर रहनुमा के तौर पर अंग्रेज़ी इस्तेमार (उपनिवेश) से लड़ने के साथ ही हकीमानह (बुद्धिमत्ता) तौर से समाजी और सियासी बसीरत (अंतर्दृष्टि) के साथ सदियों से ज़ुबूँ हाली (ख़स्ता हाली) की शिकार मोमिन, बुनकर और दीगर (अन्य) पस करदह (पिछड़ी) बिरादरियों को नए इन्क़लाब से रोशनास (परिचय) कराया। वह ज़िन्दगी की आख़िरी सांस तक फ़अआल (सक्रिय) और मुतहर्रिक (भाग-दौड़ करना)रहे। यूँ वह न सिर्फ़ मोमिन व दीगर पस करदह बिरादरियों बल्कि क़ौम-ओ-मिल्लत के लिए फ़ख़्र-ओ-नाज़ (गौरव) का मरकज़ (केंद्र) बन गए।

अंसारी साहब के जद्द-ए-आला (पूर्वज) हज़रत शैख़ शाह आलम, शहंशाह हुमायूँ की हुकूमत में चकलह दार (वह अधिकारी जो चकले अर्थात विस्तृत भू-भाग की मालगुज़ारी आदि वसूल करता है) के आला (ऊंचे) मनसब (पद) पर फ़ायज़ (विराजमान) थे। बादशाह उन की शुजाअत (बहादुरी), दयानत (ईमानदारी) और दीनदारी का मोअतरिफ़ (परिचित) था लेकिन बवजह ज़ईफ़ी (बुढ़ापा) वह शाही ख़िदमत से सुबुकदोश (कर्तव्य मुक्त) हो कर अपने वतन अकबरपुर और बाद में अपनी आबाद करदह बस्ती नोली, ज़िला ग़ाज़ीपुर, यूपी में अक़ामत गज़ीन (आबाद) हुए। उस वक्त से इन्क़लाब, 1857 ई. तक इस ख़ानदान का पेशा काश्तकारी (खेती-बाड़ी) व तिजारत (व्यापार) रहा। क़ुर्ब-ओ-जवार (आस-पास) में यह घराना सम्मानित व बाअसर रहा और बाद में 1876 ई. में सोन नदी के किनारे स्थित डेहरी-ऑन-सोन, सासाराम ज़िला शाहबाद (अब रोहतास), बिहार आ कर आबाद हो गया। अब्दुल क्यूम अंसारी के वालिद (पिता) मौलवी अब्दुल हक़ एक ख़ुशहाल ताजिर (व्यापारी) और बाअसर शख़्सियत के मालिक थे। उन के नाना हज़रत मौलाना अब्दुल्लाह ग़ाज़ीपुरी एक जय्यद (बहुज्ञ) आलिम-ए-दीन और ख़ुदा रसीदह बुज़ुर्ग थे। उन की वालिदह मोहतरमा सूफ़िया ख़ातून हाफ़िज़-ए-क़ुरआन (क़ुरआन को कंठस्थ करने वाली) और आलिमह-ओ-फ़ाज़िलह थीं। अब्दुल क्यूम अंसारी की विलादत (पैदाइश) डेहरी-ऑन-सोन में 1 जुलाई 1905 को हुई। इब्तिदाई (प्रारम्भिक) तालीम अपनी वालिदह और नाना के ज़ेर-ए-साया (छत्र छाया) में हासिल की। वह इतने ज़हीन थे कि आठ साल की उम्र में उर्दू, अरबी, फ़ारसी और दीनियात (Theology) में अच्छी ख़ासी महारत हासिल कर ली।

बिहार सूबे की इन्क़लाब आफ़रीन सरज़मीन के जिन हज़ारों फ़र्ज़िन्दान-ए-इस्लाम (इस्लाम के बेटों अर्थात मुसलमानों) ने जंग-ए-आज़ादी में लाज़वाल (अमर) क़ुर्बानियां पेश की हैं उनमें अब्दुल क्यूम अंसारी का परिवार भी शामिल है। उनके घराने का ताल्लुक़ जद्द-ओ-जेहद-ए-आज़ादी के लिए मशहूर उलेमा-ए-सादिक़पुर की इन्क़लाबी तहरीक (आंदोलन) से भी था। इसलिए बचपन से ही तहरीक-ए-आज़ादी से उन का मुतास्सिर (प्रभावित) होना हैरत की बात नहीं। महज़ 12-13 साल की उम्र से ही वतन की आज़ादी का जज्बा उनके दिल में अंगड़ाई लेने लगा। उन की ग़ैर मामूली शख़्सियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब वह सिर्फ़ 14 बरस के थे और सासाराम हाई स्कूल में ज़ेर-ए-तालीम थे कि 1919 ई. में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ख़िलाफ़त तहरीक के सिलसिले में सासाराम तशरीफ़ लाये तो उनसे मुलाक़ात की और जज्बा-ए-हुर्रियत (आज़ादी का जज्जबा) का इज़हार किया। मौलाना मौसूफ़ (उक्त) को उनकी गुफ़्तगू व चेहरे की नूरानियत ने मुतास्सिर किया और बख़ुशी उन्हें ख़िलाफ़त तहरीक का रुक्न (सदस्य) बना दिया। 1920 ई. में पन्द्र साला अब्दुल कय्यूम अंसारी डेहरी-ऑन-सोन ख़िलाफ़त कमेटी के जनरल सेक्रेटरी बन गए और उसी साल कांग्रेस के ख़ुसूसी इजलास (विशेष सभा) कलकत्ता में सूबा बिहार से डेलीगेट की हैसियत से शरीक हुए। उसी इजलास में वह गांधी जी से मिले और उनकी तालीमात व शख़्सियत से ऐसे मुतास्सिर हुए कि ताहयात (जीवनपर्यन्त) उनके मोअतक़िद (विश्वासपात्र अनुयायी) रहे।

उनकी सियासी सरगर्मियों (सक्रियता) का असर उनके वालिद के कारोबार पर भी पड़ा। अंग्रेज़ों और उन की हमनवा (सहभागी) कम्पनियों के साथ जारी उनके व्यापारिक सम्बन्ध मुनक़तह (भंग) हो गए और भारी ख़सारे (नुक़सान) से दो-चार होना पड़ा मगर उनके वालिद ने उन्हें रोका नहीं बल्कि हौसला अफ़ज़ाई करते रहे। घर पर पुलिस के छापे पड़े, तालाशियां हुईं लेकिन उनके चेहरे पर कोई शिकन (सिलवट) नहीं आयी। फ़रवरी 1922 ई. में पुलिस ने अब्दुल क्यूम अंसारी को उनकी बाग़ियाना (विद्रोही) सरगर्मियों के सबब गिरफ़्तार कर लिया लेकिन सासाराम ज़िला जेल की बदतरीन सख़्तियां भी उन्हें दिल शिकस्तह नहीं कर सकीं। इसी जद्द-ओ-जेहद के दौरान कुछ बरसों तक उन्होंने अलीगढ़ और कलकत्ता में तालीम हासिल करने की कोशिश की। अलीगढ़ का अंग्रेज़ ज़दह माहौल रास नहीं आया तो कलकत्ता जाकर तालीम जारी रखने की कोशिश की लेकिन तालीम से ज्यादा सियासी सरगर्मियों में मसरूफ़ रहे। वतन की इज्ज़त और वक़ार के लिए कुछ भी कर गुज़रने को तैयार रहते। मुल्क के हालात यह थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने नापाक क़दम जमाने के साथ ही दुनिया भर में मशहूर भारतीय कपड़ों की सनअत (उद्योग) हैंडलूम जिसका बड़ा हिस्सा मुस्लिम बुनकरों के हाथों में था, तबाह-ओ-बर्बाद करके रख दिया।

1857 के बाद तो बतौर-ए-ख़ास इस तबक़े (वर्ग) को मज़ालिम का निशाना बनाया गया। भारतीय कपड़े बाहर भेजने पर पाबन्दी लगा दी गयी। यहां के बाज़ार मैनचेस्टर (इंग्लैंड) की मिलों के तैयार शुदा कपड़ों से भर दिए गए। इन ज्यादतियों की शिकार सब से ज्यादा मोमिन-बुनकर बिरादरी हुई जिसके सबब यह बिरादरी अंग्रेज़ों की मुख़ालिफ़त में पेश-पेश (आगे-आगे) रही। इन्हीं हालात के बत्न (पेट) से 1913 में कलकत्ता में मोमिन तहरीक का ज़हूर (उदय) हुआ जिस के बानियों (संस्थापक) में ज्यादातर बिहार के ही लोग थे।

सदियों से दबी-कुचली मोमिन बिरादरी में यह एक नए इन्क़लाब का आग़ाज़ था। पहले अन्जुमन इस्लाह-बिल-फ़लाह फिर जमीयत-उल-मोमिनीन के नाम से यह तहरीक आगे बढ़ती रही जो 1928 ई. में ऑल इण्डिया मोमिन कॉन्फ्रेंस में तब्दील (बदल) हो गई। अब्दुल क्यूम अंसारी अपनी सियासी ज़िन्दगी के आग़ाज़ से ही कांग्रेस, ख़िलाफ़त तहरीक और मोमिन तहरीक से वाबस्ता (जुड़े) थे लेकिन जब अपने बड़े मकसद के साथ मोमिन तहरीक के क़ायद (नेता) बने तो वह एक मज़बूत सियासी ताक़त बन कर मुल्क के सियासी मन्ज़रनामे पर उभरे। उनके पेश-ए-नज़र गांधी जी की शख़्सियत थी जो कमज़ोर तबक़ात (वर्ग) के हालात बदलने के लिए बात करते थे जिन्हें ऊंची जाति के हिन्दू समाज ने ज़िल्लत और पसमांदगी (पिछड़ेपन) का शिकार बना रखा था। यही वजह है कि अंसारी साहब ने तहरीक-ए-आज़ादी की तमाम तर सियासी सरगर्मियों के साथ ही मुसलमानों के पसमांदा तबक़ात को समाजी इन्साफ़ दिलाने के लिए अपनी ज़िन्दगी समर्पित कर दी। उनका सबसे बड़ा कारनामा मोमिन तहरीक को तहरीक-ए-आज़ादी में अमली तौर पर शामिल करके कांग्रेस की सब से बड़ी हलीफ़ (हिमायती) जमाअत बना देना था जिसके सबब मुल्क की सियासत ही बदल गई।

एक घटना है कि 1938 ई. में वह पटना की एक असेम्बली सीट पर इन्तेख़ाब (चुनाव) लड़ना चाहते थे। उम्मीदवार तय करने के लिए मुस्लिम लीग के रहनुमा बाहर से भी आये थे और दरख़्वास्त (आवेदन) ली जा रही थी। मुस्लिम लीग के एक सूबाई रहनुमा की ईमा (इशारे) पर अंसारी साहब ने भी उस सीट के लिए दरख़्वास्त पेश की। जैसे ही वह बाहर निकले कि अंदर से

(शेष पृष्ठ संख्या 10 पर...)

बिहार में ओबीसी आरक्षण रद्द होने का कारण और देश में बड़ी लड़ाई की तैयारी

- मू. निशांत कुशवाहा
(प्रदेश अध्यक्ष मूलनिवासी संघ झारखंड)

2018 से BS-4 हम लोगों के संगठन द्वारा पूरे देश में चलाने की वजह से पहली बार लोकसभा चुनाव में संविधान और जातिगत जनगणना मुद्दा बना, परन्तु इसे मनुवादी पार्टियों ने इस मुद्दे को भ्रमित कर अपना मुद्दा बना लिया। नतीजा

पटना हाई कोर्ट ने बिहार राज्य में जातिगत जनगणना कराकर ओबीसी का बढ़ाया गया आरक्षण किया रद्द। 50% से अधिक आरक्षण रद्द करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के नौ जजों के इंदिरा साहनी जजमेंट का लिया गया सहारा। इंदिरा साहनी जजमेंट में आरक्षण की 50% सीमा लगाना भारत के संविधान का स्पष्ट उल्लंघन है। इंदिरा साहनी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने 50% की आरक्षण की सीमा लगाकर विधि बनाने का कार्य किया जो न्यायालय के कार्य क्षेत्र से बाहर है।

बिहार सहित देश के अन्य राज्यों में जातिगत जनगणना कराकर ओबीसी के लोगों का आरक्षण बढ़ाने के लिए संविधान विरोधी इंदिरा साहनी जजमेंट को निरस्त कराना पड़ेगा। जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया गया तब 50 परसेंट की अधिकतम सीमा मानने से सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया था इंकार। संविधान में एडिशन डिलीशन एवं मोडिफिकेशन का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को नहीं दिया गया है’।

लोकसभा चुनाव 2024 में संविधान और जातिगत जनगणना एक बड़ा मुद्दा था परंतु चुनाव की समाप्ति के तुरंत बाद पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा जातिगत जनगणना कराकर पिछड़ी जाति के आरक्षण को बढ़ा दिया था और बिहार राज्य में कुल जातिगत आरक्षण 65% हो गया था जिसे बिहार के संविधान विरोधियों ने उच्च न्यायालय पटना में चुनौती दी और अंततः राज्य सरकार द्वारा जातिगत जनगणना की सभी एक्सरसाइज एक झटके में समाप्त हो गई। हाईकोर्ट ने इंदिरा साहनी निर्णय का हवाला देते हुए आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% के आधार पर ओबीसी का बढ़ाया

गया आरक्षण समाप्त कर दिया। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में भी इसका वही परिणाम होगा जो पटना हाई कोर्ट में हुआ है। जब तक इंदिरा साहनी का नौ जजों की बेंच का फैसला निरस्त नहीं होता तब तक संविधान के सामाजिक न्याय के सबसे मजबूत पिलर आरक्षण को 50% से अधिक बढ़ाना लगभग नामुमकिन है।

ओबीसी को केंद्र सरकार की नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण क्यों और कैसे मिला आज इस पर भी चर्चा करना जरूरी है। भारत का संविधान संघीय है और विधायी शक्तिया केंद्र और राज्य के मध्य विभाजित है। कानून बनाने की शक्ति तीन सूचियो में विभाजित है राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची है। राज्य सूची में राज्य कानून बनता है केंद्र की सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना लेते हैं। परंतु कहीं भी संविधान में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कानून बनाने की शक्ति नहीं दी गई। इसीलिए जब 1992 में ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा रही थी तो इंदिरा साहनी नामक व्यक्ति ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दाखिल की जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा 9 जजों की बड़ी सवैधानिक बेंच बनाई गई और उस नौ जजों की बेंच ने ओबीसी आरक्षण को उचित ठहराया परंतु आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% का कानून बना दिया, जिसे ओबीसी के लोग समझ नही पाए उस समय केंद्र सरकार की नौकरियों में अनुसूचित जाति का 15% और अनुसूचित जनजाति का 7.5 प्रतिशत और कुल साढ़े 22% आरक्षण था इस आधार पर ओबीसी को 27% आरक्षण देकर, सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी जजमेंट का पालन कर दिया गया परंतु ओबीसी के लोगों ने अपने इस आरक्षण की लड़ाई को नहीं लड़ा, जिसके कारण 1992 से पहले उन्हें आरक्षण नहीं मिला और 1992 के बाद आरक्षण मिला तो 52% जनसंख्या के अगेंस्ट मात्र 27 प्रतिशत।

लंबे समय से देश में जातिगत जनगणना की बात हो रही है परंतु इंदिरा साहनी जजमेंट जिसमें 50% की जातिगत आरक्षण की सीमा निर्धारित की गई है जब तक उसको चुनौती नहीं दी जायेगी तब तक जातिगत जनगणना से ओबीसी को कोई फायदा नही होगा। हालांकि उस निर्णय को चुनौती देने लायक छोड़ा ही नहीं क्योंकि उसमें इतनी बड़ी बेंच बना दी थी उससे बड़ी बेंच बनवाना बहुत मुश्किल काम है।

अब केंद्र सरकार जो जातिगत जनगणना के विरुद्ध है पूरा मामला उसके हाथ में है। बिहार सरकार के बिहार हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट तभी पलट सकता है जब केंद्र सरकार इंदिरा साहनी के फैसले को पलट दे परंतु केंद्र सरकार ने जब सामान्य जाति के गरीब लोगों को ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया था, उस समय इंदिरा साहनी के 1992 के आरक्षण के 50% अधिकतम सीमा के जजमेंट को भी पलट देना चाहिए था, परंतु ईडब्ल्यूएस आरक्षण को केंद्र सरकार ने दे दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी। जबकि ईडब्ल्यूएस आरक्षण 10% मिलकर 60% हो गया था और उसमें इंदिरा साहनी जजमेंट कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर रहा है। अंतर सिर्फ इतना है वहां मामला सवर्ण जाति के लोगों का था यहां मामला ओबीसी के लोगों का है इसलिए राज्य सरकार द्वारा जातिगत जनगणना कराकर पूरी एक्सरसाइज करने के बाद ओबीसी के लोगों का आरक्षण बढ़ाया, जिसे बिहार हाई कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया।

अब यह लड़ाई बहुत बड़ी हो चुकी है और यह लड़ाई कानून से अधिक केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की है। अब देखना है एनडीए सरकार और उसमें शामिल घटक दल और विपक्ष के दल जो सामाजिक न्याय की चुनाव में गारंटी दे रहे थे, ओबीसी के लोगों को न्याय दिला पाएंगे? वे आज क्यों चुप हैं, यदि इस मामले में ओबीसी की हार होती है तो ओबीसी की जातिगत जनगणना कराने की मांग आने वाले समय में समाप्त हो जायेगी, यही वर्तमान केंद्र सरकार चाहती है। लेकिन इस लड़ाई को मूलनिवासी संघ और एकमात्र लोकतांत्रिक पार्टी पीपीआई डी पूरे देश में संवैधानिक तरीके से लड़ेंगी।■

परिवारों को जब मनमाना तरीके से उजाड़ा जाता है तब उनकी पीड़ा भरी चीत्कार से आसमान भी कांप जाता है

- गौतम राणे सागर
राष्ट्रीय संयोजक, संविधान संरक्षण मंच

लखनऊ शहर के बीच फैजाबाद रोड पर स्थित एक मोहल्ला है अकबर नगर, कभी खूब आबाद था, अब बर्बादी झेलने को अभिशप्त है। कुकरैल नाले के बगल व सड़क के दोनो किनारे पर 1960 से भी पहले का बसा यह मोहल्ला था। यहाँ तकरीबन दो हजार से अधिक परिवार के लोग बसे हुए थे। नवाब अकबर अली खान 1972 से 74 तक उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल थे। उन्हीं के कार्यकाल में यह जमीन यहां के निवासियों को आवंटित की गई थी। स्व. हेमवती नन्दन बहुगुणा और स्व. नारायण दत्त तिवारी जब उ.प्र. के मुख्यमंत्री थे, ने लखनऊ विकास प्राधिकरण से निवासियों की सूची बनाकर इस क्षेत्र को संतृप्त करने का निर्देश दिया था। शहरी विकास योजना अधिनियम 1973 के तहत 1974 में लखनऊ विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई

यानि कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की स्थापना के तकरीबन 15 वर्ष पूर्व से वह लोग यहां स्थापित थे जिन्हें आज उजाड़ा जा रहा है।

महामहिम राज्यपाल नवाब अकबर अली खान साहब की सदाशयता से प्रभावित होकर यहां के लोगों ने इस मोहल्ले का नाम अकबर नगर रख दिया था। आज कल एलडीए ने शायद शहर को ग्रीन जोन और रिवर फ्रंट के नाम से विकसित करने की योजना चला रखी है। नियमतः एलडीए को शहर के सौंदर्यीकरण के लिए यदि किसी भूमि की जरूरत होती है तब उस जमीन पर आबाद लोगों को उनकी भूमि अधिग्रहण करने से पहले उन्हें मुआवजा देना चाहिए था और छः महीने, साल भर का समय देना चाहिए था ताकि विस्थापित परिवार दूसरी जगह पुनर्स्थापित हो सके। इस मामले में मुआवजे की कोई प्रक्रिया नही अपनाई गई। न ही अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की गई, सीधे उजाड़ने के लिए बुलडोजर की कार्यवाही। प्रतीत होता है कि एलडीए और सरकार ने इन्हें उजाड़ने की जिद कर ली थी।

(शेष पृष्ठ संख्या 9 पर...)

गतांक से आगे...

संत अय्यंकाली : सामाजिक क्रांति के अग्रदूत

- ओमप्रकाश कश्यप
साहित्यकार एवं विचारक

दूसरे किशोरों के साथ वह अपने रचे लोकगीत गाता, नाटक खेलता और उन्हें मनभाता आकार देता था। उसके मित्र उसे सम्मान के साथ उरपिल्लई (प्रिय) या मूथपिल्लई (ज्येष्ठ) कहते थे। अय्यंकाली के गीतों और नाटकों में सामाजिक व्यवस्था के प्रति आक्रोश समाया होता था। स्वाधीनता का आह्वान किया जाता था। अय्यंकाली की भाषा तमिल मिश्रित मलयाली थी। इससे उसके गीतों और नाटकों का असर त्रावणकोर से आगे बढ़कर मालाबार ओर कोच्चि तक फैलने लगा। गीतों और नाटकों के जरिये वह मुक्ति संदेश को फैलाता। जातीय आधार पर हो रहे शोषण के बारे में वह लोगों को जागरूक करता। अय्यंकाली के माता-पिता के मन में बेटे को लेकर चिंता सदैव बनी रहती थी। लेकिन जन्मजात विद्रोही अय्यंकाली को इसकी चिंता न थी। संगठन है तो कुछ अनुशासन, ताकत का उचित सदुपयोग करने का हुनर भी होना चाहिए। सो अय्यंकाली ने अपने दल के सदस्यों को मार्शल आर्ट की शिक्षा देने के लिए एक प्रशिक्षक रख लिया, जो बहुत दूर से चलकर आता था। अय्यंकाली की गतिविधियां बाहरी लोगों को खटकती थीं। मगर उन्हें इसकी कतई परवाह नहीं थी।

उन दिनों अछूतों को गांव में खुला घूमने और मुख्य मार्गों पर निकलने की आजादी नहीं थी। न ही वे साफ, धुला हुआ कपड़ा पहन सकते थे। अय्यंकाली को बनी-बनाई लीक पर चलने की आदत न थी। 25 वर्ष की उम्र तक पहुंचते-पहुंचते उन्होंने अपने ही जैसे युवाओं का मजबूत संगठन तैयार कर लिया था। उनके साथी संकेत-मात्र से मरने-मारने को तैयार हो जाते थे। सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करते समय अय्यंकाली के सामने सबसे पहली चुनौती थी, पुलायारों को सार्वजनिक सड़कों पर चलने का अधिकार दिलाना। 1889 में ऐसी ही एक घटना घटी। कुछ युवा सार्वजनिक रास्तों पर चलने के अधिकार को लेकर आंदोलनरत थे। उसी समय उनपर बाहरी (सवर्णों) ने उनपर हमला कर दिया। दोनों पक्षों के बीच जमकर संघर्ष हुआ। सड़क खून से लाल हो गई। इसी तरह की घटनाएं मनाक्कदु, काझाकुट्टम, कनियापुरम् जैसे क्षेत्रों में देखने को आईं। सवर्ण आतंक पर उतर आए थे।

बैलगाड़ी से क्रांति

निडर, निर्भीक अय्यंकाली ने अंततः सीधे टकराने का फैसला कर लिया। 1893 की घटना है। अय्यंकाली ने दो हृष्ट-पुष्ट बैल खरीदे और एक गाड़ी। साथ में पीतल की दो बड़ी-बड़ी घंटियां। खुद को उन्होंने अपनी पारंपरिक पोशाक में सजाया हुआ था, जिससे उनकी धज अलग ही नजर आ रही थी। घंटियों को बैलों के गले में बांध, बैलगाड़ी पर सवार हो, अय्यंकाली ने बैलों को हांक लगाई। इशारा मिलते ही बैल गांव की सड़कों पर चल पड़े। मानो कोई योद्धा अपने विजय-अभियान पर अग्रसर हो। उन दिनों पुलायार के लिए बैलगाड़ी पर बैठना तो दूर, उसे खरीदना या पास रखना भी अपराध माना जाता था। अय्यंकाली का गाड़ी पर सवार होकर निकलना शताब्दियों पुरानी व्यवस्था को चुनौती थी। एक तरह से खुला ऐलान। बैलों के गलों में पड़ी घंटियां जोर-जोर से बज रही थीं। आवाज सुनकर बाहरी लोगों में खलबली मच गई। दूसरी ओर अछूतों के दिल अनहोनी की आशंका से दहलने लगे। अय्यंकाली अपनी बैलगाड़ी से गुजर ही रहे थे, सहसा कुछ सवर्णों ने आकर उनका मार्ग रोक लिया। वे अय्यंकाली को 'सबक' सिखाना चाहते थे 'यह सब क्या है? तुम्हें चादर ओढ़ने की इजाजत किसने दी।' अय्यंकाली को ऐसे विरोध की आशंका थी। वे उसके लिए तैयार थे। तभी कुछ सवर्ण आगे बैलगाड़ी की ओर बढ़े। एक पल की भी देर किए बिना अय्यंकाली थोड़ा झुके। इससे पहले कि उपद्रवी कुछ समझ पाएं, अय्यंकाली के हाथों में दरांत (कृषि कार्य में उपयोग किया जाने वाला एक हथियार) आ चुकी थी। उनका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। रास्ता रोके खड़े सवर्णों पर दरांत तान, धमकी-भरे अंदाज में अय्यंकाली ने कहा 'अगर किसी ने भी मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की तो उसे मेरा यह हथियार मजा चखाएगा।'

अय्यंकाली की स्मृति में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2002 में जारी डाक टिकट

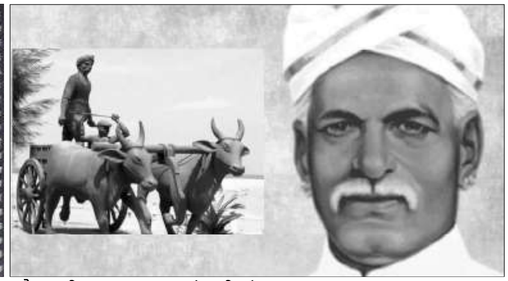

बैलगाड़ी पर सवार अय्यंकाली (28 अगस्त 1863 18 जून 1941) की प्रतिमा व उनकी तस्वीर

अय्यंकाली (28 अगस्त 1863 18 जून 1941) की तस्वीर व बैलगाड़ी पर सवार उनकी प्रतिमा

एक पुलायार से जिसकी सामाजिक हैसियत दास के समान थी, जो गर्दन झुकाकर चुपचाप हुक्म बजाते आए थे, ऐसे विरोध की आशंका किसी को न थी। वे सहमकर पीछे हट गए। उसके बाद तो अय्यंकाली की बैलगाड़ी प्रतिदिन गांव की सड़कों से गुजरने लगी। इस घटना ने न केवल सवर्णों पर असर डाला, अपितु अछूतों के बीच भी खलबली मच गई। हर कोई उसकी चर्चा अपनी-अपनी तरह से कर रहा था। उसके बाद अय्यंकाली का यश चारों ओर फैलने लगा। यह डॉ. आंबेडकर के सार्वजनिक राजनीति में प्रवेश से करीब 25 वर्ष पहले की घटना थी। जिसने अय्यंकाली को दमन के शिकार वर्गों का स्वाभाविक नेता बना दिया। 25 वर्ष की अवस्था में अय्यंकाली का विवाह कर दिया गया। उनकी पत्नी का नाम चेल्लमा था। आगे चलकर उस दंपति के यहां सात संतानों ने जन्म लिया।

लेकिन सफलता अभी अधूरी थी। अय्यंकाली अपेक्षाकृत संपन्न माता-पिता की संतान थे। उनमें इतना साहस था कि बैलगाड़ी पर घूम सकें। लेकिन उन्हीं की जाति के बाकी लोगों में सार्वजनिक मार्गों पर चलने की न तो हिम्मत थी, न सवर्ण उन्हें अनुमति देने को तैयार थे। अय्यंकाली का अगला लक्ष्य था, दमन के कारण विश्वास खो बैठे अछूतों में स्वयं विश्वास पैदा करना। इसके लिए अय्यंकाली ने अपने संगठन को तैयार किया। उनका अगला कदम था, तिरुवनंतपुरम् में अछूत बस्ती से पुत्तन बाजार तक 'आजादी के लिए जुलूस' निकालना। यह आसान काम नहीं था। विरोधी घात लगाए बैठे थे। जैसे ही उनका काफिला सड़क पर पहुंचा, सवर्णों ने उनपर हमला कर दिया। अय्यंकाली के नेतृत्व में सैकड़ों अछूत युवक निडर होकर विरोधियों से जूझ पड़े। सैकड़ों युवाओं को चोट आई। चेलियार में हुए उस संघर्ष से प्रेरित होकर दूसरे कस्बों और गांवों के अछूत युवक भी सड़कों पर चलने की आजादी को लेकर निकल पड़े। मनक्कदु, काझाकोट्टम, कनियापुरम् सहित आसपास के इलाकों में जुलूस निकाले गए। सड़कें खून से लाल होने लगीं। सवर्णों का विरोध जितना बढ़ रहा था, उतना ही अछूत युवा अपने अधिकारों को लेकर जागृत हो रहे थे। अय्यंकाली का प्रभाव और अछूतों का विद्रोह बढ़ता ही जा रहा था। दूसरी अछूत जातियां भी पुलायारों के साथ एकजुट होकर अधिकारों की मांग करने लगी थीं। संघर्ष गृहयुद्ध में बदलने लगा था।

पुलायार विद्रोह : शिक्षा क्रांति

उस संघर्ष से अछूतों को दूसरे अधिकारों के लिए आवाज उठाने की प्रेरणा मिली। अय्यंकाली स्वयं अशिक्षित थे, लेकिन वे नहीं चाहते थे कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी शिक्षा से वंचित रहें। सरकार सभी के लिए समान शिक्षा के दरवाजे वर्षों पहले खोल चुकी थी। मगर स्कूल प्रबंधन पर सवर्णों का अधिकार था। वे पुलायार और दूसरे अछूत बच्चों के स्कूल प्रवेश से आनाकानी करते थे। 1904 में अय्यंकाली ने अछूतों की शिक्षा के लिए आंदोलन आरंभ कर दिया। पुलायार और दूसरे अछूतों की शिक्षा के लिए उन्होंने उसी वर्ष वेंगनूर में पहला स्कूल खोला। वह केरल का पहला स्कूल था, जिसे केवल अछूतों के अध्ययन के लिए खोला गया था। अछूतों के लिए वह आशा की किरण जैसा था। परंतु सवर्णों से वह बर्दाश्त न हुआ। उन्होंने स्कूल पर हमला कर, उसे तहस-नहस कर दिया। अय्यंकाली के लिए वह बड़ा धक्का था। लेकिन निरंतर संघर्ष ने उनकी जिजीविषा को बढ़ा दिया था।

संघर्ष को सांस्थानिक रूप देने के लिए अय्यंकाली ने 'साधु जन परिपालन संघम' नामक संस्था का गठन किया। उसका उद्देश्य था, पुलायार तथा दूसरे अछूतों को शिक्षा के लिए प्रेरित करना। औपनिवेशिक सरकार भी अछूतों में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रयासरत थी। उस समय मिशेल त्रावणकोर शिक्षा विभाग के निदेशक थे। अछूतों के लिए शिक्षा को लेकर अय्यंकाली ने अपनी संस्था के माध्यम से कई पत्र त्रावणकोर के दीवान और शिक्षा निदेशक को लिखे। औपनिवेशिक सरकार की नीति के चलते दीवान ने अछूतों की शिक्षा के लिए 1907 में आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए थे। लेकिन आदेशपत्र जारी होने को जानबूझकर रोका गया था। अय्यंकाली द्वारा लगातार लिखने पर मिशेल को उसकी जानकारी मिली। उन्होंने दीवान को उस आदेश पर तत्काल अमल करने का आग्रह किया। अंततः 1910 में आदेशपत्र जारी हुआ, परंतु स्कूल प्रबंधकों में जिनमें जमींदार सम्मिलित थे, उस आदेश पर अमल करने से इन्कार कर दिया।

इस पर अय्यंकाली 1 मार्च 1910 को पुजारी अय्यन की पांच वर्ष की बेटी

पंचमी तथा अपने साथियों को लेकर उरूट अंबालम स्कूल, बलरामपुरम् में पहुंचे। वहां अय्यंकाली समर्थकों तथा सवर्णों जिनमें नैय्यरों की संख्या सबसे ज्यादा थी, के बीच जमकर संघर्ष हुआ। गुस्साए नैय्यरों ने पुलायारों की बस्ती पर हमला कर दिया। उनके घर तहस-नहस कर डाले। उपद्रवी नैय्यर पुलायारों की बकरियों, जानवरों तथा गाड़ियों को लूटकर ले गए। औरतों और आदमियों को बुरी तरह से पीटा गया। जिसने भी सामना करने की कोशिश की, उसे बुरी तरह से दबा दिया गया। झोपड़ियों में आग लगा दी गई। सात दिनों तक पुलायारों की बस्ती से धूल और धुआं उड़ता रहा। चीख-पुकार की आवाजें आती रहीं। उरूट अंबालम स्कूल, बलरामपुरम् से उभरी चिंगारी हालांकि कुछ दिनों बाद शांत हो गई। लेकिन आसपास के इलाकों में उससे जो ज्वाला भड़की उसने 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की याद दिला दी। उसने मार्यामुट्टम, वेंगनूर, पेरमबाझुथूर, कुनथकाल जैसे इलाकों को भी अपनी चपेट में ले लिया। केरल के मुख्य धारा के इतिहासकार उस घटना को 'पुलायार-विद्रोह' के नाम से पुकारते हैं। उस विद्रोह में अछूतों को जन और धन दोनों की भारी हानि हुई थी। उनके आगे रोजगार का संकट भी खड़ा हो चुका था। बावजूद इसके आजादी की ललक ऐसी थी कि तमाम विरोधों और दबावों के बावजूद आंदोलन आगे बढ़ता गया।

'पुलायार आंदोलन' जातीय दमन के विरोध में उठी आवाज थी। साम्यवादी विचारक उसे वर्ग-संघर्ष की तयशुदा सैद्धांतिकी के अंतर्गत देखते आए हैं। तथाकथित राष्ट्रवादी लेखकों, पत्रकारों की पुलायार आंदोलन को लेकर क्या राय थी। यह के. रामकृष्ण पिल्लई की टिप्पणी से पता चल जाता है। पिल्लई 'स्वदेशाभिमानी' के संपादक थे। उन्हें कार्ल मार्क्स की जीवनी के अनुवाद का श्रेय भी दिया जाता है, जो मार्क्स के बारे में किसी भी भारतीय भाषा में प्रकाशित पहली पुस्तक थी। अछूत बच्चों को स्कूल में भर्ती कराने की अय्यंकाली तथा उनके सहयोगियों की मांग तथा उसे सरकार के समर्थन पर पिल्लई ने अपने समाचारपत्र 'स्वदेशाभिमानी' में जो लिखा वह 'त्रिवेणी संघ', के नेताओं पर कांग्रेसी नेताओं की टिप्पणी की याद दिलाता है। 'त्रिवेणी संघ' के नेता जब कांग्रेस के पास टिकट लेने गए तो उसके नेताओं ने न केवल इन्कार कर दिया, अपितु उनका उपहास उड़ाया गया। टिकट मांगने पर किसी को कहा जाता कि 'वहां (संसद और विधानसभा) क्या साग-भंटा बोना है... किसी को कहा जाता कि वहां क्या भैंस दुहनी है? किसी को ताना मारा जाता कि वहां क्या भेड़ें चरानी हैं? किसी को यह कहकर फटकार दिया जाता कि वहां क्या नमक-तेल तौलना है।' रामकृष्ण पिल्लई ने इतनी तीखी भाषा का प्रयोग तो नहीं किया, मगर वे सरकारी स्कूलों में अछूत बच्चों के प्रवेश के सख्त विरोधी थे। अपने समाचारपत्र में उन्होंने लिखा था कि अछूत बच्चों को सरकारी स्कूलों में भर्ती का आदेश अनपढ़-गंवार और पीढ़ियों से मेहनत-मजदूरी पर गुजर-बसर करते आए लोगों, के बच्चों को उन बच्चों के साथ जोड़ देना है जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी अपने दिमाग को तराशते हुए आए हैं। यह घोड़े और भैंस को एक ही गाड़ी में जोत देने जैसा है।'

नया स्कूल खोलना जितना कठिन था, उससे कहीं अधिक कठिन था, उसमें पढ़ाई की व्यवस्था करना। उन दिनों में अछूतों में कोई पढ़ा-लिखा था नहीं। अय्यंकाली अशिक्षित थे। समस्या थी कि पढ़ाए कौन? जो पढ़े-लिखे थे उनमें से कोई आगे नहीं आ रहा था। सरकार उस समय अछूतों के स्कूल में पढ़ाने के लिए छह रुपये महीना देती थी। किसी को आगे न आते देख मासिक वृत्तिका को बढ़ाकर नौ रुपये कर दिया गया। तब, लंबी प्रतीक्षा और कोशिशों के बाद परमेश्वरन पिल्लई नाम का एक युवक पढ़ाने के लिए तैयार हुआ। परमेश्वरन तिरुवनंतपुरम के कैथमुक्कू गांव का रहने वाला था। जिन संस्कारों के बीच वह पला-बढ़ा था, वे अछूतों के संपर्क में आने की अनुमति नहीं देते थे। पहले दिन जब वह स्कूल पहुंचा तो इसी ऊहापोह से घिरा हुआ था। उस समय उसकी प्रगतिगामी मेधा और सामाजिक-सांस्कृतिक कुंठाओं के बीच द्वंद्व जारी था। उस घटना का उल्लेख ग्रीश्मा ने अपने आलेख 'डेस्टिनी चेंजिज' में इस प्रकार किया है-

'नए अध्यापक ने स्कूल में अनिच्छापूर्वक ऐसे प्रवेश किया, मानो वह किसी कूड़ाघर में जा रहा हो। उसकी सामाजिक-सांस्कृतिक कुंठा तथा प्रगतिगामी के बीच द्वंद्व छिड़ा हुआ था। वह बहुत डरा हुआ था। स्थिति तनावपूर्ण थी। उसी क्षण स्कूल को चारों ओर से घेरे खड़े लोगों ने शोर मचाना आरंभ कर दिया। अय्यंकाली के समर्थक और विरोधी एक-दूसरे के आमने-सामने थे। अफरा-तफरी का माहौल था। तभी एक व्यक्ति अध्यापक की ओर बढ़ा, जो मारे भय के बुरी तरह कांप रहा था। जैसे-तैसे अध्यापक को कक्षा तक पहुंचाया गया। दिन में कक्षाएं चलीं। मगर रात होते ही सवर्णों का दल फिर आ पहुंचा। देखते ही देखते, स्कूल को उजाड़ दिया गया।'

अय्यंकाली और उनके विरोधियों में मानों होड़ मची थी। बिना किसी विलंब के स्कूल का नया ढांचा खड़ा कर दिया गया। अध्यापक को सुरक्षित लाने-ले जाने के लिए रक्षक लगा दिए गए। तनाव और आशंकाओं के बीच स्कूल फिर चलने लगा।

जैसे-जैसे अय्यंकाली का आंदोलन तेज हो रहा था, वैसे-वैसे उनके विरोधी भी बढ़ते जा रहे थे। उसकी प्रतिक्रिया में अछूतों के बीच स्वतंत्रता और समानता को लेकर चेतना भी जागृत हो रही थी। उनकी आंखें सपने देखने लगी थीं। इसके साथ-साथ अय्यंकाली की सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ रही थी। सामाजिक उत्थान की दिशा में उनके योगदान की उपेक्षा करना असंभव हो चला था। 1888 में त्रावणकोर में विधायिका परिषद की स्थापना की गई थी। उसके आठ सदस्य थे। उसके पीछे त्रावणकोर के राजा श्रीमूलमथिरुनाल रामवर्मा की प्रेरणा थी जो प्रशासन में जन प्रतिनिधियों को सम्मिलित करना चाहते थे। 1904 तक व्यापारी, जमींदार, ही 'श्री मूलम पोपुलर असेंबली' के सदस्य बन सकते थे। प्रत्येक जिला प्रमुख द्वारा दो सदस्यों का चयन किया जाता था। कोई भी जमींदार जो कम से कम 100 रुपये सालाना लगान देता हो, अथवा व्यापारी जिसकी सालाना आय 6000 रुपये से अधिक हो, वह चुना जा सकता था।

1912 में अय्यंकाली को 'श्री मूलम पोपुलर असेंबली' का सदस्य चुन लिया गया, उसके बाद वे मृत्युपर्यंत उस पद पर बने रहे। अय्यंकाली पहले अछूत थे जिन्हें औपनिवेशिक भारत में राज्य विधायिका का सदस्य मनोनीत किया गया था। विधायिका के सत्र के दौरान, राजा और दीवान की उपस्थिति में अय्यंकाली ने जो भाषण दिया उसमें उन्होंने अछूतों के संपत्ति अधिकार, शिक्षा, राज्य की नौकरियों में विशेष आरक्षण दिए जाने तथा बेगार से मुक्ति जैसे मसलों पर बात की थी। 4 मार्च 1912 को अय्यंकाली द्वारा राज्य की विधायिका में दिए गए भाषण का ऐतिहासिक महत्त्व है। वह सरकार के सामने अछूत हितों को लेकर उठने वाली किसी अछूत की पहली आवाज थी। उसमें अय्यंकाली ने कहा था ''पुलायारों के प्रतिनिधि के रूप में मैं सरकार को, हमारे बच्चों को वेंगनुर ऐलीमेंट्री स्कूल, दक्षिणी त्रावणकोर के विद्यालयों में प्रवेश को लेकर की गई मदद के लिए अपना आभार प्रकट करना चाहता हूँ। अभी तक पुलायार जाति के बच्चों के प्रवेश को केवल सात स्कूलों में अनुमति दी गई है। मैं चाहता हूं कि राज्य के सभी स्कूलों में हमारे बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो। पुलायार अपने बच्चों को उन सभी स्कूलों में भर्ती करा सकते हैं, जिनमें इझवा जाति के बच्चों को प्रवेश की अनुमति है।" दीवान ने टोका। अय्यंकाली ने कहना जारी रखा "नए बच्चों को फीस में में छूट दी जा सकती है। सरकार मुस्लिम बच्चों को फीस में छूट देती है, जो हमसे कहीं आगे हैं। पुलायार बच्चों को भी वैसी ही छूट मिलनी चाहिए।'

दीवान ने कहा, "क्या पुलायारों के बच्चे मुस्लिमों की तरह फीस में छूट नहीं ले रहे हैं? मेरा मानना है कि ऐसा होना चाहिए।"

अय्यंकाली ने कहा, "पुलायारों को इंजीनियर, स्वास्थ तथा औषध विभाग में भर्ती किया जा सकता है। उनमें कई योग्य सदस्य हैं, जिन्हें शिक्षा विभाग में भर्ती किया जा सकता है। हालांकि पुलायारों को सड़कों पर चलने, कानून की मदद लेने, अदालत जाने के अधिकार के संबंध में शाही आदेश जारी हो चुका है, इसके बावजूद उन्हें रोका जा रहा है। कुछ लोग इसमें बाधा डाल रहे हैं। हमें राहत पहुंचाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए।''

अय्यंकाली द्वारा पुलायार बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में आ रही परेशानियों को विधान परिषद में लगातार उठाए जाने से सरकार चेती। 1914 में सरकार ने शिक्षा-नीति पर कठोरता से पालन के आदेश दे दिए। शिक्षा निदेशक मिशेल स्वयं हालात का पता लगाने के लिए दौरे पर निकले। मिशेल के आने की खबर से अधिकारी सचेत हो गए। अछूत विद्यार्थियों के प्रवेश को और अधिक लटकाना संभव न था। मिशेल की आगमन की खबर सुनकर जब स्कूल प्रशासन हरकत में आया। लेकिन अछूत विद्यार्थियों को स्कूल में प्रवेश करते देख सवर्णों ने हंगामा कर दिया। उपद्रवी भीड़ ने मिशेल की जीप को आग लगा दी। बावजूद इसके वह अधिकारी सरकारी आदेश का पालन करने के लिए डटा रहा। उस दिन आठ पुलायार छात्रों को प्रवेश मिला। उनमें 16 वर्ष का एक किशोर भी था जो पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आया था।

यह अय्यंकाली की जीत थी, परंतु समस्याओं का यही अंत नहीं था। सवर्णों ने अपने बच्चों के दिमाग में भी जहर घोला हुआ था। अछूत बच्चे पढ़ाई के लिए जैसे ही कक्षा में प्रवेश करते, वे दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाते थे। इससे अध्यापकों को बहाना मिला। वे अछूत छात्रों को प्रवेश देने से फिर आनाकानी करने लगे। इससे अछूतों का आक्रोश भड़क पड़ा। वे स्कूल का सवर्णों द्वारा विरोध के खिलाफ फिर सड़क पर उतर आए। अय्यंकाली उनका नेतृत्व कर रहे थे। झगड़े हुए। त्रावणकोर के कई शहरों में सांप्रदायिक दंगों जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। अय्यंकाली ने सरकार के सामने मुद्दे को उठाया।... **क्रमशः...**

(पृष्ठ 12 का शेष...)

महिलाओं को निर्णय लेना होगा कि ...

करने की यात्रा में हमें भारत के कोने-कोने से अपना कलाचारिक योगदान देना होगा जो भारतीय समाज व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करेगा।

मू. शर्मिष्ठा गौतम द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु संवैधानिक प्रावधान विषय पर समझाया गया कि देश-दुनियां महिला शसक्तीकरण के विषय में क्या सोच रखती है उसके लिए माहिलाएं स्वनिर्भर, स्वनिर्णय एवं समाज में समता आधारित भागीदारी सुनिश्चित करें। परन्तु इससे पहले हमें महामानवों के नजरिये से देखना चाहिए कि वह सकारात्मक बदलाव जिसमें स्त्री-पुरुष समता भाव से, स्वतन्त्र एवं सुरक्षित अपने जीवन को गरिमामय तरीके से जीते हैं और समाज में सामाजिक आर्थिक, राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, तभी महिला सशक्तिकरण संभव है। महिला कमाए परन्तु उस पैसे को कैसे प्रयोग करना है उसका निर्णय पुरुष निर्धारित करें, उसको कैसे जीवन जीना है, कहां जाना है कहां रहना है, किसके साथ रहना है, कैसे रहना यह सभी कुछ धर्म शास्त्रों के अनुसार पूर्व निर्धारित है। यह महिलाओं को स्वयं निर्णय लेना होगा कि उन्हें कौन-सी शक्ति की आवश्यकता है। हिन्दू धर्मशास्त्रों की अवतार शक्ति या वो शक्ति जो संविधान से प्राप्त हुई है? शक्ति विकास और विनाश दोनों कर सकती है। इसलिए हमारे मन-मस्तिष्क में यह स्पष्ट होना चाहिए कि शक्ति की आवश्यकता क्यों है? हम उससे क्या करने वाले हैं और वह शक्ति कौन सी है। यदि शक्ति को गलत हाथों में सौंपा है तो क्या हम जो चाहते हैं वह हो पाएगा। इसके लिए हमें स्वयं से प्रश्न करना पड़ेगा। इस महिला सशक्तीकरण की चुनौतियों में सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियां जाति आधारित समाज व्यवस्था है। जो एक जाति की महिला के दर्द को दूसरी जाति की महिला को महसूस नहीं होने देती, असंवेदनशीलता को स्थापित करती है। एक मुर्गे की बलि से बकरे को फर्क नही पड़ा, बकरा कटे तो ऊंच को फर्क नही पड़ता, ऊंट कटे तो भैंस को दर्द नहीं होता। जाति के कारण हम भी उसी पशुता के शिकार हो रहे हैं, जबकि हम सभी भारतीय महिलाओं का डीएनए एक ही है।

दूसरा इस व्यवस्था को स्थायी/दृढ़ करने वाले धार्मिक ग्रन्थ। बाबासाहेब ने इनके विषय में कहा कि असमानता को बढ़ाने वाले धर्म ग्रन्थों को डायनामाइट से उड़ा देना चाहिए। वह डायनामाईट हम महिलाएँ हैं। जब महिला रूपी डायनामाईट (वैचारिकी) तैयार होगा तभी ये बदलाव/महिला सशक्तिकरण संभव है। हमने उस समाधान को खोजना चाहिए जो इस चुनौती को खत्म कर सके। इसका समाधान भारत का संविधान है। उन्होंने बताया कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में (we the people) हम भारत के लोग से महिलाओं के सशक्तीकरण का अध्याय प्रारम्भ हो जाता है। इसी के साथ मौलिक अधिकार/अन्य प्रावधान अनुच्छेद- 14,15, 15-3, 16(4), 19, 21, 21(1), 23-24, 39, 42, 46, 51.1 (ड) 243 (घ) (3), 325 महिलाओं से संबंधित बताये गये कि कैसे शक्ति प्राप्त होती है। यह संवैधानिक प्रावधान महिलाओं को वह शक्ति प्रदान करते हैं जिसे महिला सशक्तिकरण कहते हैं। यही वह सशक्तिकरण है जिसकी हमारे महापुरूषों ने कल्पना भी की थी। इसलिए मूलनिवासी महिलाओं का कर्तव्य बनता है कि वे परम्परा/रूढ़ियों को पोषित न कर संविधान का पोषण करें। सिर्फ कानून के बदलाव से महिला को ताकत नहीं मिल सकती, सामाजिक परिवर्तन नहीं हो सकता। केवल कानून समाज का नियन्त्रणकर्ता नही हो सकता। उसके हाथ, नाक, कान मुंह हम महिलाओं को बनना पड़ेगा। हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस महिला सशक्तिकरण के लिए बाबा साहेब ने 'हिन्दू कोड बिल' के विषय में कहा था 'मुझे भारतीय संविधान के निर्माण से भी अधिक दिलचस्पी और खुशी हिन्दु कोड बिल पारित करने मे है? यह कानून केवल भारतीय मूलनिवासी महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि सर्वण और द्विज महिलाओं के लिए भी बनाया गया था। यह क्रान्तिकारी बात है। यह स्त्री के सामाजिक न्याय का दस्तावेज है, इसे हर महिला को पढ़ना चाहिए। इस बिल के पास न होने पर अत्याधिक दुखी होकर बाबा साहेब ने 10 अक्टूबर 1951 में अपना त्याग पत्र दिया था।

हिन्दू कोड बिल की हर बात हमें पढ़नी चाहिए जो हमें बताती है कि स्त्री में शक्ति समाहित करने वाले दस्तावेज के वो कौन विरोधी थे जो स्त्री को पैर की जूती बनाये रखना चाहते थे। ये हिन्दू कोड बिल हम महिलाकों के लिए दोस्त और दुश्मन की पहचान करने में भी मार्गदर्शक का काम करेगा।

सामाजिक आन्दोलन में महिलाओं की भूमिका पर मू. सुनीता कप्परवाल, डॉ. पी. कोमला एवं डॉ. दीपा श्रावस्ती द्वारा मार्गदर्शन किया गया। इसके साथ ही मू. जीवन गावंडे ने संवाद कौशल के प्रकार स्वयं से, दो लोगों के बीच संवाद, समूह संवाद एवं जन संवाद कैसे किया जाये एवं भाषण कला पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि संवाद प्रक्रिया में एक संदेशदाता, दूसरा संदेश माध्यम तीसरा संदेश प्राप्त करता है, चौथा फीडबैक होता है। यदि संदेश प्राप्तकर्ता से फीडबैक नहीं आ रहा है तो हमें यह जानने भी जरूरत है जो संदेश भेजा गया उसमें क्या कमी रह गयी। ट्रेनिंग/प्रशिक्षण में- ज्ञान, कौशल और मनोवृत्ति इन तीनों का विकास होने पर ही साधन निर्माण होता है। संवाद कौशल का विकास करने के लिए 'बुद्ध एवं उनक धम्म' पुस्तक पढ़ने की सलाह दी। इसके साथ प्रत्येक शारीरिक एवं मानसिक क्रिया कलापों एवं एक्सरसाइज/आसन मू. निलिमा भटकर द्वारा जानकारी एवं कार्यान्वित कराये गये जिससे महिलाएं शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें।

प्रशिक्षण व्यवस्था को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने में संगीता सिंह, मू. मिथिलेश भाष्कर, मू. आशा टम्टा, मू. सुनीता एन. कुमार, मू. शोभा आदि ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। महिला प्रशिक्षण शिविर में सभी महिला साथी बहनों ने भगिनी भाव को आगे बढ़ाते हुए, प्रशिक्षण को सफल बनाने में अनुशासन का परिचय दिया।

प्रशिक्षण के अन्तिम दो दिन महिलाओं को एक दिवसीय कैडर कैम्प प्रशिक्षण कला का व्यवहारिक ज्ञान कराया गया। समूह के साथ एवं व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण का कौशल विकसित करने हेतु प्रशिक्षण कराया गया। महिलाओं ने उत्साह एवं दृढ़ निश्चय से उनकी समझ विषय की प्रस्तुती बड़े सुन्दर ढंग से प्रस्तुत की।

प्रशिक्षण के अन्तिम सत्र की अध्यक्षता बामसेफ निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष मू. नितिन गनोरकर द्वारा की गयी। जिसमें महिलाओं को उनकी समाज के प्रति महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का अहसास दिलाते हुए कहा कि आपने जो 5 दिवसीय महिला प्रशिक्षण में जाना, समझा, ज्ञान प्राप्त किया उसका समाज में प्रचार-प्रचार करें। आन्दोलन की चाहत है कि आन्दोलन के अनुपात में आपका प्रतिनिधित्व आंदोलन में बढ़े। इसी अपेक्षा के साथ बामसेफ के निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रशिक्षण के सफल आयोजन की बधाई दी। मू. सुनीता एन. कुमार द्वारा सभी का आभार व्यक्त करते हुए अध्यक्ष की अनुमति से पाँच दिवसीय प्रशिक्षण की समाप्ति की घोषणा की गई। ■

(पृष्ठ संख्या 6 का शेष..)

परिवारों को जब मनमाना तरीके से...

पीढ़ियों से रह रहे जिन परिवारों को जब मनमाना तरीके से उजाड़ा जाता है तब जबरन विस्थापित होने की पीड़ा से अभिशप्त परिवारों की जो चीत्कार उठती है उससे आसमान भी कांप जाता है। यकीनन ध्वस्तीकरण की कार्यवाही से पूर्व यह अंदाजा लगा लिया गया था कि इनकी करुण क्रंदन व चीत्कार सहानुभूति बटोर सकती है लिहाजा यहां के लोगों की चीत्कार दबाने के लिए एलडीए और सरकार ने बुलडोजर और पॉकलेन की गड़गड़ाहट का पूरा इंतजाम कर रखा है। बुलडोजर और पॉकलेन के शोर में इन बेचारों की चीख पुकार भी दबा दी गई। यहां के तकरीबन दस हजार लोग अब बेघर हैं।

इन्सानियत के नाते सुन्नी वक्फ बोर्ड को इनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए। वक्फ की पड़ी ज़मीन पर इन्हें बसने का मौका देना चाहिए। सभी मुसलमान भाईयों से अपील है कि इन्हें पुनः बसाने में इनकी मदद करनी चाहिए। धार्मिक मसलों की हमें अधिक जानकारी नही है यदि गुस्ताखी हो जाए तो माफ करें। इतनी अपील अवश्य करना चाहूंगा कि यदि उचित हो तो कुर्बानी के बदले इन बेखर लोगों को बसाने को वरीयता दें। यहां से उजाड़ी गई हिन्दू कही जाने वाली जातियां, जिन्हें छोटी जाति में रखा गया है उनको पुनर्स्थापित करने में भी उन लोगों को आगे आना चाहिए जिन्हें हिन्दू की पीड़ा अति द्रवित करती है।

हम लोग विस्थापित पीड़ित परिवारों के सम्पर्क में हैं, जितना संभव है उनके साथ खड़े हैं। सरकार से अपेक्षा करना कितना उचित है, आप सब बेहतर जानते हैं। उसकी गुलाबी फाइलों में सब चंगा है। यदि आप लोग यहां से विस्थापित किए गए परिवारों से व्यक्तिगत मिलकर उन्हें ढांढस बंधाएंगे और उनकी सहायता करेंगे तो उनके जख्मों पर मरहम का काम करेगा। संभव है उनके टूटे विश्वास को बल मिले और आत्म संबल प्राप्त करने में वह सफल भी हो। विपत्ति में एक दूसरे के साथ खड़े होने की उत्सुकता होनी चाहिए।

अपराध करने की सारी सीमा ही तोड़ दी

लखनऊ पुलिस वाकई चुस्त दुरुस्त और पूरी तरह से मुस्तैद है। इंटरपोल और एफबीआई को इनसे प्रशिक्षण लेना चाहिए। अकबर नगर लखनऊ में मनमाने ढंग से चलाए जा रहे ध्वस्तीकरण के एक पीड़ित की आठ साल की बेटी ने बड़ा जघन्य अपराध कर दिया। समय रहते यदि लखनऊ पुलिस चौकन्नी न हो जाती तो शायद दुनिया के नक्शे से भारत का नक्शा ही गायब हो गया होता। निस्संदेह उसका अपराध माफ करने लायक ही नही है। उसका सबसे बड़ा अपराध यह है कि वह तालीम हासिल कर रही है। यहां तक तो थोड़ी बहुत गनीमत थी लेकिन उसने तो अपराध करने की सारी सीमा ही तोड़ दी, जब उसने सरकार और उच्चाधिकारियों पर यह भरोसा कर लिया कि शायद वह मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन कर दैनिक रूप से अकबर नगर में एलडीए के बुल्डोजर और पुलिस के बूटों की धमक से दैहिक यातना के शिकार लोगों की मदद के लिए वह आगे आयेंगे। इसी विश्वास ने उसे दुस्साहस करने पर मजबूर कर दिया। मदद की गुहार में उसने सोशल मीडिया के माध्यम से उच्चाधिकारियों को यानि ट्विट कर दिया।

मण्डल आयुक्त, उपाध्यक्ष एलडीए को यह कैसे बर्दाश्त हो जाता कि कोई आठ साल की बच्ची मदद के लिए उनके उच्चाधिकारियों के यहां गुहार लगा रही है। इनके आदेश पर पुलिस वालों ने धर दबोचा उसके मामा को जो कि अपनी मां यानि कि लड़की की नानी को ले जाने आया था। जबरदस्ती पकड़ने के उपरान्त अन्तर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों से उसके तार जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। संभव है कि पाकिस्तानी कनेक्शन जोड़ कर रात में उसे ढेर भी किया जा सकता था, अखिलेश यादव की सक्रियता काम आ गई, पुलिस के खूनी पंजों की पकड़ ढीली पड़ी और वह बची जान के साथ घर वापस आ गया। यदि वह अभी नही छूटता तो शायद कल के अखबारों की सुर्खियों में हम पढ़ रहे होते कि अकबर नगर में आईएसआई का साया, पुलिस मुठभेड़ में एक आतंकवादी हुआ ढेर। सुरक्षा कारणों से लड़की और उसके मामा का नाम उजागर करना उचित नही है। संभव है कि 'खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे' की तर्ज पर उस लड़की को सबक सिखाने के उद्देश्य से उसे फिदायीन घोषित किया जा सकता है।

केवल जगह ही खाली कराना इनका उद्देश्य होता तब यह इतना ताण्डव नृत्य न कर रहे होते। दो हजार परिवारों को अपना घर खाली करने में समय तो लगता ही है। तंग गलियों में शिफ्टिंग में लगे 150 से अधिक मिनी ट्रक को निकलने में समय तो लगता ही है। भय के साए में शीघ्रातिशीघ्र एलडीए इस स्थान को सिर्फ इसलिए खाली कराने पर अड़ी है ताकि उसके पापात्म कृत्य पर हमेशा पर्दा पड़ा रहे। एलडीए प्रशासन का तेवर तो ऐसे दिखता है; यदि उन्हें छूट दे दी जाए तब वह पेट्रोल का छिड़काव करके एक ही साथ पूरे मोहल्ले को जलाकर राख कर दें।■

(पृष्ठ 5 का शेष...)

स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल कयूम अंसारी...

क़हक़हों के साथ आवाज़ सुनाई पड़ी, अब जुलाहे भी एम.एल.ए. बनने का ख्वाब देखने लगे।

यह सुनना था कि अंसारी साहब पलट कर तेज़ी के साथ अन्दर दाख़िल हुए और अपनी दरख्वास्त वापस ले कर उसी जगह पुर्ज़े-पुर्ज़े कर दी। उस वक्त उन्होंने शायद ऐसी ही तौहीन महसूस की जैसी डॉ. अम्बेडकर बैलगाड़ी से जबरन उतारे जाने, चपरासी द्वारा दूर से फाईल फेंक कर देने पर महसूस की होगी। इस के बाद उन्होंने खुद को मोमिन कॉन्फ्रेंस के लिए समर्पित कर दिया और बहुत जल्द बिसात-ए-सियासत पर छा गए। मोमिन बिरादरी उनके गिर्द जमा हो गई क्यों कि उनकी रहनुमाई में उसे अपनी समाजी और सियासी उमंगों (तमन्नाओं) की तकमील (पूरा होना) के आसार नज़र आने लगे। अंसारी साहब ने जब पटना आकर सियासत शुरू की उस वक्त बिहार में मुस्लिम सियासत के आकाश पर डॉक्टर सैय्यद महमूद, बैरिस्टर मोहम्मद यूनुस, मिस्टर अज़ीज़, सैय्यद ज़फ़र इमाम, सर सुल्तान अहमद और नवाब हसन वग़ैरह चमक रहे थे जिन्हें अपनी सलाहियतों के साथ ही दौलत और ख़ानदानी वक़ार (सम्मान) भी हासिल था। उन सब हज़रात के मुक़ाबले में अंसारी साहब की हैसियत एक ज़र्रे की थी। वह हज़रत मौलाना अब्दुल्लाह ग़ाज़ीपुरी जैसे अज़ीम आलिम-ए-दीन के नवासे ज़रूर थे लेकिन सियासी मैदान में यह खूबी कोई मायने नहीं रखती थी। उन्हें बिसात-ए-सियासत से हटा देने की बहुत कोशिशें की गयीं लेकिन वह सभी को पीछे छोड़ते हुए आंधी-तूफ़ान की तरह मैदान-ए-सियासत में छा गये।

अंसारी साहब मिस्टर जिन्ना के दो क़ौमी नज़रिये व भारत के बटवारे के सख्त मुख़ालिफ़ और कांग्रेस की पॉलिसियों के हामी थे। क्रिप्स मिशन जब भारत आया तो मिस्टर क्रिप्स ने दरियाफ़्त (मालूम करना) किया कि मिस्टर जिन्ना के मुक़ाबले में कांग्रेस के साथ वह कौन से मुस्लिम रहनुमा हैं जो मुसलमानों के किसी न किसी हिस्से की तर्जुमानी (व्याख्याता) करते हैं और मुस्लिम लीग व जिन्ना के ख़िलाफ़ मुस्लिम अवाम (जनता) के एक हिस्से को कांग्रेस की जंग-ए-आज़ादी की तहरीक में शरीक कर सकते हैं। पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ान, मौलाना हुसैन अहमद मदनी और अब्दुल क़य्यूम अंसारी के नाम लिये थे। कांग्रेस के हिमायती यही तीन मुस्लिम रहनुमा थे जिनके पीछे मुसलमानों की बड़ी तादाद थी। मगर इन तीनों में अंसारी साहब ही वह वाहिद रहनुमा थे जिन्हें मेहनतकश अवाम के एक बड़े हिस्से में तंज़ीमी क़ूवत (सांगठनिक बल) की हिमायत हासिल थी। यह वाकया है कि अंसारी साहब ने जमीयत-ए-उलेमा-ए-हिन्द और ख़िलाफ़त तहरीक के सरकरदह क़ौमी रहनुमाओं के मशवरे से क्रिप्स मिशन के सामने एक ऐसी 6 मांगे पेश की थी जिसमें केन्द्रीय और प्रांतीय हुकूमतों में मोमिन जमात समानुपातिक प्रतिनिधित्व और मोमिन अंसार अवाम के लिए माक़ूल रिज़र्वेशन, दूसरी इन वर्गों के लिए विशेष छूट की मांग किया था। इन मांगों में जबरदस्त दूरदर्शी राजनीतिक बुद्धिमत्ता थी जो आसानी से यह बात साबित कर देती कि भारतीय मुसलमानों की आधी से ज्यादा आबादी जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ नहीं है। लेकिन कांग्रेस को भी ये मांगे मंजूर नहीं थी कि पिछड़े, मूलनिवासी मुसलमानों को हक-अधिकार मिले। पंडित नेहरू को ये मंजूर नहीं था। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने अगर इस सुझाव को रद्द नहीं किया गया होता तो जिन्ना कभी भी बंटवारे की अपनी योजना में कामयाब नहीं हो पाते। इससे यह बात साफ़ हो जाती है कि बंटवारे की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ मुस्लिम लीग की ही नहीं बल्कि स्वयं कांग्रेस के नेतृत्व की भी है।

मोमिन कॉन्फ्रेंस के सरबराह (प्रशासक) की हैसियत से अंसारी साहब मुल्कगीर (देश भर) शख्सियत के हामिल थे लेकिन कांग्रेस में शामिल हो जाने के बावजूद पार्टी की बालादस्ती (उच्च) पसन्द सियासत ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका और कई बार नज़रअंदाज़ भी किया। अगर ऐसा न होता तो एक मुदब्बिर (कुशल) सियासतदां होने के बावजूद उन्हें बिहार तक ही महदूद (सीमित) नहीं कर दिया जाता। 1967 के असेम्बली इंतेख़ाबात में वह डेहरी हलक़े (क्षेत्र) से कामयाब हुए थे लेकिन कांग्रेस को अक्सरियत (बहुमत) हासिल नहीं हुई और मख़लूत (गठबंधन) सरकार बनायी गयी जो ज्यादा दिनों तक नहीं चली। 1969 में वस्त-ए-मुद्दती (मध्यावधि) चुनाव हुआ तो उनका टिकट ही काट दिया गया फिर भी कांग्रेस वहां कामयाब न हो सकी। इसके बाद कांग्रेस ने अपनी ग़लती सुधार करते हुए उन्हें राज्य सभा भेजा।

मोहतरमा इंदिरा गांधी उन्हें मरकज़ी वज़ीर (केंद्रीय मंत्री) बनाना चाहती थीं लेकिन असबियत-ओ-बालादस्ती (पक्षपातपूर्ण एवं तथाकथित उच्च वर्गीय मानसिकता) पसन्द बआज़ मुस्लिम रहनुमाओं के दबाव में वह ऐसा नहीं कर सकीं। 1972 में जब बिहार कांग्रेस में रस्साकशी हो रही थी तो मुत्तफ़िक़ह (सर्वसम्मत) फ़ैसला हुआ कि अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब को वज़ीर-ए-आला (मुख्यमंत्री) बनाया जाए। बहुत से रहनुमाओं ने उन्हें मुबारकबाद भी दे दी लेकिन बताया जाता है कि बिरहमन (ब्राह्मण) लॉबी ने मोहतरमा इंदिरा गांधी को वरग़ला कर केदार पाण्डेय को वज़ीर-ए-आला बनवा दिया। यूँ 1946 से 1972 तक वह बिहार के सियासी पटल पर एक बाअसर सियासतदां की हैसियत से चमकते रहे।

अवाम की ख़िदमत के लिए अंसारी साहब हर लम्हे कमरबस्ता रहते थे। ग़रीबों की माली इमदाद करने, उनको महाजनों के पंजों से बचाने और बेगारी व बंधुआ मज़दूरी से निजात दिलाने के साथ ही ग़रीब बुनकरों की फ़लाह-ओ-बहबूद (भलाई) के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटियां क़ायम करायीं और दीगर बहुत से मुस्बत (सकारात्मक) इक़दामात किये। नादार (गरीब) गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति दिलवाने के साथ ही ज़रूरी तालीमी इस्लाहात करवायीं और बी.एम.सी. पाठशाला खुलवाए, जिनकी वजह से लाखों तलबा का मुस्तक़बिल रौशन हुआ। ज़िन्दगी भर हिन्दू-मुस्लिम इत्तेहाद (एकता) और समाजी व क़ौमी सामंजस्य के लिए कोशिशें करते रहे। ताहयात मुजाहिदाना व दरवेशाना (फक्कड़पन) ज़िन्दगी बसर की जिसकी लोग मिसाल देते हुए नहीं थकते। उनके आदात-ओ-अतवार, सादगी, हलीमी (नरमी), सहनशीलता, दीनदारी-ओ-परहेज़गारी और सच बोलना, ओ-बेबाकी की दुनिया क़ायल (विश्वास करना) है जो उन्हें अपने बुजुर्गों से विरासत में मिली थीं। यही वजह है कि समान तौर से समाज के हर तबक़े के अन्दर महबूब-ओ-मक़बूल थे। बिलआख़िर, अपने दौर का यह अज़ीम (महान) रहनुमा अवाम की ख़िदमत करते हुए 18 जनवरी 1973 को अपने हलका-ए-इन्तेख़ाब के दौरे के दरमियान अचानक हरकत-ए-क़ल्ब (दिल की हरकत) रुक जाने से वफ़ात पा गए और डेहरी-ऑन-सोन में ही सुपुर्द-ए-ख़ाक (दफ़्न) किये गए।■

(पृष्ठ 4 का शेष...)

आर्य-पुत्रों के बौद्धिक षड्यंत्र को ...

अम्बेडकरवादी हैं जो बाबा साहब की इतनी किताबें पढ़कर और उनके विचारों को सुनकर भी टस से मस नहीं होते।' यह तथाकथित अम्बेडकर भक्तों के लिए एक सीख है।

संवैधानिक व्यवस्था में न्याय पालिका की अहम भूमिका है। आर्य संस्कृति में न्याय भगवान भरोसे है किन्तु संवैधानिक व्यवस्था में न्याय, न्याय पालिका भरोसे होती है। चुनाव के दौरान भारतीय जनता को न्याय पालिका का भरोसा हमेशा बरकरार रहा, इस बात को लेकर कि ईवीएम द्वारा की जा रही भाजपा की धांधली पर विराम अवश्य लगेगा किन्तु तमाम सबूतों को प्रस्तुत करने के बाद भी भारत की मजबूर न्याय पालिका से न्याय नहीं मिल पाया। आशा हमेशा बंधी रही कि बस जल्द ही ईवीएम पर बैन लग जायेगा और सी.जे.आई. भारतीय नागरिकों को न्याय प्रदान करेंगे और अब चुनाव बैलेट पेपर से ही होगा। सी.जे.आई. के समक्ष एक तरफ आर्य संस्कृति का फरमान तो दूसरी तरफ संवैधानिक मूल्य। शपथ सत्य निष्ठा के साथ संविधान की किन्तु भूसुर न्याय मूर्ति के समक्ष मनु महाराज का धर्मादेश, 'सत्य बोलने से यदि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का हनन होता है तो असत्य सत्य से उत्तम है'। फिर न्याय मूर्ति के न्यायिक मूड को अच्छी तरह समझा जा सकता है। फिर भी भारत का भ्रमित मूलनिवासी नागरिक न्याय की आशा अपने दिलों दिमाग में संजोए रखा किन्तु पूर्व की तरह उसे फिर वही मिला ढाक के तीन पात।

प्रातिनिधिक न्याय पालिका से ही न्याय सम्भव है। राजनीतिक सत्ता जिनके पास है, उनकी चाहत में प्रातिनिधिक न्याय पालिका नहीं है। फिर भारत के मूलनिवासियों को न्याय मिलना केवल दिवास्वप्न है। फिर जिस देश की शासन व्यवस्था संविधान सम्मत न होकर संस्कृति सम्मत हो फिर गैर ब्राह्मण न्याय पालिका में अपनी भागीदारी कैसे सुनिश्चित कर सकता है? भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा तथ्यों के आधार पर मत व्यक्त किया गया है कि कोई भी ब्राह्मण सत्य बोलकर अपने पुरखों की सामाजिक व्यवस्था के विरोध में चुनौती नहीं खड़ा कर सकता जिस सामाजिक व्यवस्था ने उसे सम्प्रभुता प्रदान किया है। वह निःसन्देह विद्वान है किन्तु ईमानदार कभी नहीं रहा। ब्रिटिश हुकूमत ने अपने दो सौ वर्षों के शासन काल में भारत में जो देखा और महसूस किया, तत्पश्चात उन्होंने घोषणा किया कि भारत में ब्राह्मणों के अन्दर न्यायिक चरित्र नहीं होता। फिर आर्य-पुत्रों से न्याय की आशा करना बेइमानी है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण बिहार राज्य का लक्ष्मणपुर बाथे नर संहार है जिसमें 58 पिछड़े वर्ग के लोगों को सवर्ण जातियों के लोगों उनका गला रेत कर हत्या कर दी। निचली अदालत ने सजा सुनायी किन्तु उच्च न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया।

समस्या का समाधान राजनैतिक सत्ता से ही सम्भव है बशर्ते राजनीतिक सत्ता मूलनिवासियों के हाथ में हो। तभी न्याय पालिका प्रातिनिधिक होगी और भारत के समस्त नागरिकों को न्याय मिलना संभव होगा। भेड़ और शेर कभी एक साथ नहीं रह सकते। बकरी और शेर कभी एक घाट पर पानी नहीं पी सकते। चूहे और बिल्ली में दोस्ती नहीं हो सकती। कुत्ता कभी मांस की रखवाली नहीं कर सकता। साफ्ट हिन्दुत्व और हार्ड हिन्दुत्व दोनों में मूलनिवासियों का अन्धकारमय भविष्य निहित है। इसलिए जाति के जंजाल से उबरने के लिए तथागत बुद्ध के सन्देश, 'अत्त दीपो भव' का अनुशरण करते हुए जाति को जमात में बदल कर शासक जमात बनने के लिए अग्रसर बनें। तभी आपको न्याय मिलेगा।■

एनडीए और इंडिया गठबंधन में मूलनिवासी सांसदो की संख्या कितनी?

मूनिटा संवाददाताः यह देश मूलनिवासियों यानी एससी, एसटी, ओबीसी और कन्वर्टेड माइनोरिटी का है, लेकिन आज भी इनकी संख्या के आधार पर इनके सांसदो की संख्या नजर नहीं आती है। इस लोकसभा चुनाव में भी एनडीए और इंडिया गठबंधनों ने ब्राह्मणों को सबसे अधिक टिकटे दी हैं।

देश में 18वीं लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुका है। चुनावीं परिणाम के आते ही 18वीं लोकसभा की तस्वीर देश के सामने है। जिसमें हर बार की तरह इस बार भी एनडीए में अगड़ी जातियों के सांसदो की संख्या सबसे अधिक रही। जातीय आधार पर देखें तो 2024 के इस लोकसभा चुनाव में भी देश भर में सबसे ज्यादा 25.8 प्रतशित सांसद अगड़ी जातियों के ही चुने गए हैं, जबकि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 28.5 प्रतिशत अगड़ी जातियों के सांसद चुने गए थे। वहीं मध्यवर्ती जातियों के सांसदो की बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में 13.6 प्रतिशत सांसद चुने गए। जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में 14.4 प्रतिशत सांसद चुने गए थे।

ओबीसी सांसदो की बात करें तो 2019 में लोकसभा में 22.8 फीसदी सांसद थे। जबकि इस साल मामूली सी वृद्धि होकर यह 25.4 प्रतिशत तक पहुंचे। वहीं अनुसूचित जाति के सांसदो की बात करें तो 2019 में लोकसभा में इनकी हिस्सेदारी मात्र 15.5 फीसदी थी। जबकि मामूली सी वृद्धि के साथ 2024 में इनकी हिस्सेदारी 15.8 फीसदी रही। जबकि अनुसूचित जनजाति के सांसदो की हिस्सेदारी 2019 में भी 10.1 फीसदी थीं और इस बार भी इनकी हिस्सेदारी 10.1 फीसदी ही रही।

जबकि धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले लोकसभा प्रतिनिधित्व की बात करें तो 18वीं लोकसभा में मुस्लिम 4.4 फीसदी, ईसाई 1.3 फीसदी, सिख 2.4 फीसदी और बौद्धों की हिस्सेदारी शून्य रही।

इस 18वीं लोकसभा में अगड़ी और मध्यवर्ती जातियों की हिस्सेदारी 39.4 फीसदी रही। जबकि इस देश की आबादी में इनकी हिस्सेदारी मात्र पंद्रह 15% फीसदी हैं। वही देश की कुल आबादी में 85 फीसदी हिस्सेदारी रखने वाले एससी, एससी, ओबीसी और धार्मिक अल्पसंख्यक जिसे इस देश का मूलनिवासी कहा जाता हैं उनकी हिस्सेदारी इस 18वीं लोकसभा में 59.4 फीसदी रहीं। हिंदी भाषी राज्यों में यह आंकड़ा मूलनिवासियों के लिए और अधिक निराशाजनक हैं। इन राज्यों में 32.7 फीसदी सांसद अगड़ी जातियों के हैं। जबकि मध्यवर्ती जातियों के 6.6 फीसदी सांसद हैं।

वही इन राज्यों में 36 फीसदी ओबीसी सांसद, 17.7 फीसदी एससी सांसद, 8.4 फीसदी एसटी सांसद और 3.1 फीसदी मुस्लिम सांसद हैं। जबकि सिख, ईसाई और बौद्धों की हिस्सेदारी बिल्कुल शून्य हैं।

अब ये भी जान लेते हैं की 2024 के लोकसभा चुनाव में किस गठबंधन ने किस जाति के कितने प्रत्याशियों को टिकट दिया। 18वीं लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 31.3 फीसदी प्रत्याशी अगड़ी जाति से उतारे और वर्तमान में इस गठबंधन में 33.2 फीसदी सांसद इसी जाति से हैं। जबकि इंडिया गठबंधन ने 19.2 फीसदी प्रत्याशी अगड़ी जातियों के उतारे थे और इस समय इसके 12.4 फीसदी सांसद इसी जाति के हैं।

इस लोकसभा चुनाव में अगड़ी जातियों में सिर्फ ब्राह्मणों को एनडीए ने 14.9 फीसदी टिकटे दी। जबकि इंडिया गठबंधन ने ब्राह्मणों को 10 फीसदी टिकटें दी।

मालूम हो कि यह आंकड़े दोनो ही गठबंधनों द्वारा किसी विशेष जाति वर्ग के प्रत्याशियों को दी जाने वाली टिकटों में सबसे अधिक हैं। मध्यवर्ती जातियों की बात करें तो, एनडीए गठबंधन ने पंद्रह दशमलव तीन फीसदी (15.3 फीसदी) और इंडिया गठबंधन ने 14 फीसदी प्रत्याशी मध्यवर्ती जातियों के प्रत्याशियों को टिकट दिए थे। जिसमे मराठा, रेड्डी और पाटीदार जैसी जातियां शामिल हैं। वर्तमान में एनडीए के 15.7 फीसदी और इंडिया गठबंधन के 11.9 फीसदी सांसद मध्यवर्ती जातियों के हैं।

ओबीसी वर्ग की बात करे तो, एनडीए गठबंधन ने 25.5 फीसदी प्रत्याशी ओबीसी वर्ग से उतारे और वर्तमान में एनडीए के 26.2 फीसदी सांसद ओबीसी वर्ग हैं। जबकि ओबीसी वर्ग की आबादी इस देश में लगभग 52 फीसदी है। वही एनडीए गठबंधन में इस समय मात्र 13.3 फीसदी एससी और 10.8 फीसदी एसटी सांसद हैं। जबकि इस गठबंधन में एक भी सांसद मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्धों समुदाय से नहीं हैं।

आज इन आंकड़ों पर देश के 85 फीसदी मूलनिवासी बहुजन समाज को गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। इस देश की पूरी आबादी में उनकी हिस्सेदारी पचासी फीसदी से अधिक हैं। वे चाहे तो इस देश की सत्ता आसानी से अपने हाथों में ले सकते हैं। लेकिन 1952 के प्रथम आम चुनाव से ही मनुवादियों ने इस बहुसंख्यक समाज को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया।■

मनुवादी विचारधारा की ट्रेनिंग लेकर प्रोफेसर बने मनुवादी, क्या वास्तविक न्याय को समझते हैं?

मूनिटा संवाददाताः इस देश में जातिवाद आज भी चरम पर हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों में हमें जातिवाद की घटनाएं देखने और सुनने को मिलती हैं, लेकिन शैक्षणिक संस्थाओं में जातिवाद, यह दर्शाता हैं की कैसे? पढ़े-लिखे मनुवादी विचारधारा के लोग आज भी जातिवाद को बनाए रखने में अपनी अहम भूमिका निभा रहें हैं।

बाबा साहेब डॉक्टर आंबेडकर ने संविधान को समर्पित करते हुए कहा था कि, हम राजनीतिक समानता बेशक हासिल कर ले, पर सामाजिक समानता एक जटिल लड़ाई है और सामाजिक समानता के बिना राजनीतिक समानता भी बच नहीं पाएगी। आज बाबा साहेब की कही गई बात सच होती दिख रही हैं और आज मूलनिवासी बहुजन समाज की स्थिति इसी पर आकर अटक गई हैं।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 के मुताबिक, राज्य कमजोर वर्ग के लोगों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा और उन्हें सामाजिक अन्याय व अन्य सभी प्रकार के शोषण से बचाएगा। यही नहीं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 और 16 भी धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किए गए भेदभाव को अपराध मानता हैं। लेकिन आज खुलेआम जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा हैं। आश्चर्य की बात ये हैं कि आज देश के उच्च शैक्षणिक संस्थानों में भी जातिवाद के मामले काफी बढ़ रहे हैं।

आंकड़े के मुताबिक, पिछले 5 सालों में 13,000 से अधिक एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों ने आईआईटी, आईआईएम और केंद्रीय विश्वविद्यालयों की पढ़ाई छोड़ दी हैं। इसकी मुख्य वजह उन उच्च शैक्षणिक संस्थानों में जातिवादी मानसिकता वाले प्रोफेसरों की अधिकता हैं जो जन्म से ही इसकी ट्रेनिंग लेता हैं।

इस देश में द्विजों की आबादी मात्र 15 फीसदी हैं, लेकिन जानकर आश्चर्य होगा की उच्च शैक्षणिक संस्थानों में लगभग 98 फीसदी प्रोफेसर और 90 फीसदी से ज्यादा सहायक प्रोफेसर तथाकथित उच्च वर्ग से संबंधित हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें बचपन से ही उनके घरों और समाज में मनुवादी विचारधारा की ट्रेनिंग दी जाती हैं और जातिवाद को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उनके कंधो पर सौंपी जाती हैं, लेकिन क्या इन प्रोफेसरों से उच्च शैक्षणिक संस्थानों में सामाजिक न्याय की उम्मीद की जा सकती है?

अगर सही में ये लोग सामाजिक न्याय के प्रति ईमानदार होते तो आज उच्च शैक्षणिक संस्थानों में जातिवाद चरम पर नहीं होती और मूलनिवासी छात्रों को पढ़ाई बीच में छोड़नी नहीं पड़ती। जब एक मूलनिवासी छात्र जातिवाद का शिकार होता हैं तो सिर्फ उसके सपने ही नही टूटते हैं बल्कि उसके साथ-साथ उसके परिवार और पूरे समाज का सपना टूट जाता हैं। फिर कोई अपने बच्चों को खोने के डर से उन संस्थानों में नहीं भेजते हैं।

आज देश के उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में मूलनिवासी बहुजन समाज के अध्यापकों, प्रोफेसरों और सहायक प्रोफेसरों की संख्या बेहत कम हैं। देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से 33 में अनुसूचित जाति और अनुसूचिज जनजाति श्रेणी में अध्यापकों के 1,097 पदों को भरा जाना था लेकिन सिर्फ 212 को ही भरा गया। वहीं इन 33 विश्वविद्यालयों में से 18 में तो इस श्रेणी से एक भी पद नहीं भरा गया। इन शैक्षणिक संस्थाओं में 15 फीसदी द्विजो की अधिकता, साथ ही 85 फीसदी मूलनिवासियों की भारी कमी जातिवाद का सबसे बड़ा कारण हैं। उच्च पदों पर बैठे मनुवादी मानसिकता वाले द्विजों ने मूलनिवासी छात्रों को हमेशा पीछे धकेलने का काम किया हैं। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें मूलनिवासी छात्रों को उनकी योग्यता से कम नंबर दिए गए हैं या जानबूझ कर फेल कर दिया गया हैं। एम्स के बारे में एक समिति के अध्ययन से पता चलता है कि, कैसे एससी, एसटी और पिछड़े छात्रों को बार-बार बेवजह फेल कर दिया जाता हैं। आंकड़े ये भी बताते हैं कि, आईआईटी, आईआईएम और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कभी भी एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों का कोटा पूरा नहीं होने दिया जाता हैं। जिससे देश के उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में मूलनिवासी छात्रों की संख्या काफी कम दिखती हैं। लेकिन मूलनिवासी छात्रों की संख्या कम होने के बावजूद आत्महत्या करने वालो में इनकी संख्या लगभग 56 फीसदी हैं।■

If undelivered please return to
मूलनिवासी टाईम्स
527–ए, नेहरू कुटिया, कबीर बस्ती, मल्कागंज,
दिल्ली–110007, दूरभाष : 9318363969

RNI No. DELHIN/2003/11385
Postal Regd. No. DL(N)/310/2022-24
Date of Publication : 29 June 2024
Date of Postinig : 30 June 2024

महिलाओं को निर्णय लेना होगा कि उन्हे कौन–सी शक्ति की आवश्यकता है, धर्मशास्त्रों की शक्ति या संविधान से प्राप्त शक्ति

– शर्मिष्ठा गौतम, राष्ट्रीय संगठन सचिव, बामसेफ

बामसेफ द्वारा आयोजित 5 दिवसीय राष्ट्रीय महिला प्रशिक्षण शिविर नागपुर में सफलतापूर्वक सम्पन्न

यूनिटा संवाददाता, नागपुर : 18 जून 2024 से 22 जून 2024 तक बामसेफ द्वारा राष्ट्र स्तरीय महिला प्रशिक्षण शिविर नागपुर के रिंगनाबोडी स्थित डी. के. खापर्डे मेमोरियल ट्रस्ट में आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण शिविर 5 दिन तक चला। जिसमें उ.प्र., महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखण्ड एंव झारखण्ड की महिलाओं ने पूरे भारत में महिलाओं को फुले-अम्बेडकरी आन्दोलन में भागीदारी बढ़ाने एंव विचारधारा के प्रचार-प्रसार हेतु प्रतिभाग किया। घर से दूर होकर अनुशासन एवं चिंतन की प्रक्रिया में रहना तथा विचारों के प्रचार-प्रसार को कैसे समाज में गतिमान करना है, कैसे मूलनिवासी समाज की महिलाओं को उनकी जिम्मेदारी का अहसास कराना है। वे कौन मूलनिवासी महामानव हैं जिनके कारण आज हम संविधान संविधान रूपी वृक्ष के फल खा रहे हैं।

हमारे महामानवों को सीधी-सादी महिलाएँ अपेक्षित नही हैं। उन्हें विद्रोही महिलाएं अपेक्षित हैं। सबसे पहले बुद्ध-फूले ने स्त्री समता की बात कही है।

समाज में स्त्री-पुरूष असमानता आधारित व्यवहार मनु विधान और हिन्दू धर्म शास्त्रों का समाज में स्थापित होने से है। इसके लिए हम महिलाएं भी जिम्मेदार हैं क्योंकि माँ ही बच्चे का निर्माण करती है। इसमें सुधार के लिए महिलाओं को बात करनी चाहिए। अपने बच्चों को भी इस ओर सोचने के लिए प्रेरित कर नव समाज निर्माण करना चाहिए।

डॉ. नीलिमा बागडे (प्रशिक्षक) द्वारा सगठन की समझ उसके कौन-कौन से तत्व हैं और किस प्रकार वे तत्व कार्य करते हैं बताया गया। उन्होने बताया कि किसी संगठन के 8 तत्व होते हैं-

1. उद्देश्य, 2. विचारधारा, 3. कार्यक्रम, 4. नीति / रणनीति, 5. अनुशासन, 6.नेतृत्व,7. कार्यकर्ता, 8. सदस्य।

उद्देश्य दिशा सूचक यंत्र की तरह संगठन की बुनियाद होता है और विचारधारा उद्देश्य के अनुरुप कार्य करती है। विचारधारा एक गतिशील तत्व है। उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है। जिसमें नीति, निर्धारण तो बतायी जाती है परन्तु रणनीति को संगठन उजागर नहीं करता है। समय-2 पर रणनीति बदलती रहती है। यह उद्देश्य के अनुरूप रहती/चलती है। अनुशासन के अभाव में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत दुष्कर है। यदि, प्राप्त कर भी लिया तो वह लम्बे समय तक स्थिर नहीं रह सकता। यह अनुशासन केवल सदस्य एवं कार्यकर्ताओं के लिए नही है बल्कि इसका पालन शीर्ष नेतृत्व के लिए भी उतना ही आवश्यक है। उपरोक्त 5 बातों/तत्वों को समाहित कर तब छठवें स्थान पर नेतृत्व आता है। जबकि हम अलोकतान्त्रिक संगठनों में देखते हैं तो प्रथम स्थान पर-नेतृत्व दिखाई देता है। कार्यकर्ता नेतृत्व और सदस्यों के बीच की कड़ी है, जो संगठन को आपस में जोड़े रखने का कार्य करता है। वहीं सदस्यों से संगठन की ताकत/शक्ति का निर्माण होता है, तो कार्यकर्ता बदलाव की मुख्य कड़ी है। वह संगठन के लिए साधन-संसाधन उपलब्ध कराता है। जिसके पास सदस्यता की ताकत नहीं वह दवाब निर्माण नहीं कर सकता।

एस.आर. मौर्या जी ने संगठनात्मक व्यवहार पर प्रकाश डाला। उन्होने कहा कि संगठनात्मक व्यवहार का महत्व समाज में इसलिए है क्योंकि डी. के. खापर्डे साहब कहा करते थे 'संगठन बनाने से ज्यादा मुश्किल कार्य संगठन को चलाना है।' उसका स्थायित्व हमारे संगठनात्मक व्यवहार पर निर्भर करता है। यह संगठनात्मक व्यवहार केवल कार्यकर्ताओं के लिए सीखना आवश्यक नहीं है, इसके लिए नेतृत्व से लेकर सदस्य तक विशेष प्रशिक्षण होना बहुत आवश्यक है।

सभ्यता संघ के सीईसी सदस्य मू. हिम्मत वैद्य ने कहा कि सभ्यता संघ की निर्माण की भूमिका एवं कैसे आर्य-ब्राह्मणी संस्कृति को समाप्त कर भारत में कलाचार स्थापित करना है। यह व्यवस्था परिवर्तन के लिए क्यों जरुरी है? ब्राह्मणी संस्कृति यह मनुस्मृति के अमानवीय सिद्धन्तों पर आधारित है। इसके द्वारा कभी सभ्यता का निर्माण नही किया जा सकता। मूलनिवासी कलाचार आचरण की नैतिक संहिता है, जिसमें खेल, नाटक, गीत, संगीत, लेखन, साहित्य आदि के माध्यम से सभ्य समाज का निर्माण करने की विधा है। सभ्यता निर्माण के लिए आंदोलन का सहित्य और साहित्य का आंदोलन बहुत आवश्यक है।

संस्कृति एक तरह की विकृति है जो समाज को खोखला कर रही है। जबकि कलाचार उसके विपरीत सभ्य समाज का निर्माण कर सभ्यता तक पहुंचना अपना ध्येय रखता है। इस प्रकार मूलनिवासी समाज में कलाचार को स्थापित कर सभ्यता स्थापित... (शेष पेज.. 9 पर)

महिलाओं की समाज में स्थिति क्या है और कैसे उन महिलाओं के जीवन की गरिमा को समतावादी दृष्टिकोण द्वारा सुधार किया जा सकता है आदि अनेक विषयों पर महिलाओं के बीच प्रशिक्षण, संवाद-सुसंवाद स्थापित करना सिखाया गया।

प्रशिक्षण के प्रथम दिन बामसेफ के झंडारोहण के साथ एवं राष्ट्र गीत - तन मन धन अर्पण हो राष्ट्र हित में तर्पण के साथ सलामी देकर कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। झंडारोहण बामसेफ की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मू. सुनीता कपरवाल द्वारा किया गया।

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बामसेफ डॉ संजय इंगोले द्वारा 'भारतीय समाज व्यवस्था भी समझ' विषय समझाते हुए उन्होने कहा कि राष्ट्रपिता फूले कहते हैं 'गुलाम गुलामी का मजा लूटे तो उसे कोई गुलामी से मुक्त नहीं कर सकता'। भारतीय समाज व्यवस्था को आर्य-ब्राह्मणों ने अपने अनुरूप बनाने के लिए उसका ढांचा निर्माण किया। इस भारतीय समाज को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर उस ढांचे में इस देश के मूलनिवासियों को सबसे निचले पायदान पर रखा, जहाँ उसके पास कर्तव्य सारे हैं परन्तु अधिकार कुछ भी नहीं हैं। जाति के नाम से उनको काम बाँट दिया गया। आर्य-ब्राह्मणों ने जो संरचना बनायी वह अपने लाभ के लिए बनायी जो कि ब्राह्मणी सामाजिक संरचना (Brahapinical social order) कहलाती है। इस व्यवस्था में सर्वाधिक अधिकार ब्राह्मण के पास और सर्वाधिक कर्तव्य शूद्र के पास है। समाज में जो व्यवस्था बनायी जाती है वह मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बनाई जाती है परन्तु आवश्यकताओं की पूर्ति करना खतरों से खाली नहीं होता और श्रम करने में बल लगता है। ब्राह्मण श्रम नहीं करना चाहता। स्वयं को श्रम और खतरे से बचाने के लिए उसके द्वारा जो व्यवस्था निर्माण की गयी, यह श्रम करने वालों का हक छीनकर मजे से जीने वालों की व्यवस्था है। इस व्यवस्था को चार्तुवर्ण भी कहा गया है। यह चतुर और चालाक लोगों यानि आर्य-ब्राह्मणों की बनायी व्यवस्था है। इसे समझने और समझाने से ही इस व्यवस्था को समाप्त किया जा सकता है। उन्होंने आगे समझाया कि भारतीय समाज व्यवस्था में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है। समाजशास्त्र बदलाव के तीन प्रमुख सिद्धान्त बताता है। 1. चक्रीय परिवर्तन, 2. उत्परिवर्तन वादी बदलाव, 3. क्रान्तिकारी बदलवा। अगर हम मूलनिवासी व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं तो हमें क्रान्तिकारी बदलाव का मार्ग अपनाना होगा। परिवर्तन - दिशाविहीन शब्द है। यह सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी। जो लोग हिन्दु धर्म व्यवस्था में सुधार के पक्षधर रहे और हैं वह सुधारवादी परिवर्तन चाहते हैं। बीमारी का समूल नाश नहीं करना चाहते। उस सुधारवादी परिवर्तन से हम मूलनिवासी लोगों का काम चलने वाला नही है। ' जब जागों तब सवेरा' जब हमें समझ में आया कि यह कार्य गलत है उसे तुरन्त छोड़ों ओर सकारात्मक परिवर्तन की ओर बढ़ो।

डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि "Liberty is not receiving in gift, it has to be fought for" 'स्वतन्त्रता उपहार में नहीं मिलती, उसके लिए लड़ना पड़ता है।' कीमत चुकाये बिना परिवर्तन संभव नही है। क्रान्तिकारी कार्य व्यवस्था को बदलने का सिद्धान्त है। उदाहरण - गरीब को भीख देना हल नहीं है। गरीब को खरीदने लायक बनाना हल है। व्यवस्था परिवर्तन की पाँच प्रक्रिया है।

(1) विचार परिवर्तन (2) आचरण परिवर्तन (3) सामाजिक परिवर्तन (4) राजनीतिक परिवर्तन (5) व्यवस्था परिवर्तन।

जो आन्दोलन के माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन लाना चाहते है उन्हें तीन चीजों का आंकलन करना चाहिए। 1) इतिहास, 2) वर्तमान, 3) भविष्य की योजना।

हम आज जो हैं वो इतिहास के आधार पर हैं परन्तु वर्तमान को भूतकाल की कमाई पर नहीं गुजारना चाहिए। वर्तमान में कमाना भी जरूरी है उसी पर हमारा भविष्य निर्भर करेगा।

डॉ. दीपा श्रावस्ती प्रशिक्षक बामसेफ द्वारा मूलनिवासी महामानवों का प्रतिभालेख विषय पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने महाप्रजापति गौतमी जिन्होनें बौद्ध काल खंड में प्रथम महिला संघ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। माता यशोधरा त्याग एवं सर्मपण की प्रतिमूर्ति अपने सामाजिक दायित्वों को निभाकर संघ में प्रवेश करती हैं। सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा प्रथम बौद्ध मिशनरी महिला देश छोड़कर अनेक कठिनाईयों का सामना करते हुए श्रीलंका में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को स्थापित करती हैं। इसी प्रकार मध्य काल खण्ड में फूलों झानो मुर्मु संथाल विद्रोह में 21 अग्रेजों को मार गिराती हैं। उत्तराखण्ड की गोरा देवी प्रकृति/पर्यावरण की संरक्षिका बन महिला संघ निर्माण करती हैं। इसके साथ-साथ मुक्ता सालवे, जीजाबाई, माता सावित्रीबाई, ताराबाई सिंद जो स्त्री-पुरुष तुलना नाम निबंध लिखती हैं। फातिमा शेख, अहिल्याबाई होल्कर, झलकारी बाई, लक्ष्मी टम्टा एवं माता रमाबाई के त्याग एवं सामाजिक समर्पण पर प्रकाश डाला।

उन्होने लैंगिक संवेदीकरण पर भी प्रकाश डालते हुए कहा कि किस प्रकार समाज में स्त्री और पुरुष पैदा नहीं होते उन्हे बनाया जाता है। उनके गुण-अवगुण, खिलौने, कपड़े, विचार, व्यवहार, कार्य निर्धारित कर भेदभावपूर्ण समाज निर्माण होता है। उन्होंने बताया कि

मूलनिवासी टाईम्स के इस अंक में प्रकाशित लेखकों के विचारों से सम्पादक सहमत हैं ही, ऐसा नहीं है।
मुद्रक एवं प्रकाशक दीपक मधुकर वैद्य द्वारा मालिक बामसेफ संगठन के लिए वैदिक मुद्रणालय, 3957, गली अहिरान, पहाड़ी धीरज, दिल्ली–110006 यहां मुद्रित कर, कार्यालय : 527–ए, नेहरू कुटिया, कबीर बस्ती, मल्कागंज, दिल्ली–110007 से प्रकाशित किया। – संपादक : मनोज कुमार